संघर्ष संवाद

दिसम्बर 2014 नई दिल्ली

भारत की नव निर्वाचित केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी कारपोरेट–समर्थक और जन. विरोधी नीतियों को और अधिक तेजी से, दबाव और आक्रमकता के साथ लागू करेगी। 'अच्छे दिन' के वायदों की सच्चाई कुछ ही हफ्तों में खुलकर सामने आ गयी है और यह स्पष्ट है कि आम मतदाताओं को बेहतर जिंदगी के सपने दिखाकर जुटाई गई सत्ता की ताकत को अब खतरनाक साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ दिया गया है।

अपनी पहली चौमाही में ही सरकार ने न सिर्फ बहु–ब्रॉंड खुदरा क्षेत्र में बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रास्ते खोलने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इसके साथ–साथ मौजूदा श्रम–कानूनों में कंपनियों के अनुकूल बदलाव करना, पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को महज खानापूर्ति में तब्दील कर देना, और ढेर सारी खामियों वाले लुंजपुंज भूमि–अधिग्रहण कानून के प्रावधानों से किसानों को मिलने वाली न्यूनतम राहत को भी कारपोरेट की सुविधानुसार रास्ते से हटा लेना सरकार के एजेंडे में शामिल है।

आए दिन हो रहे साम्प्रदायिक दंगों और उप–चुनावों के दौरान अपने राजनीतिक समर्थकों द्वारा धार्मिक माहौल खराब किए जाने पर नए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की चुप्पी ने मनमोहन सरकार की बदनाम चुप्पी को भी पीछे छोड़ दिया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों समेत साम्प्रदायिक समूहों द्वारा भड़काऊ बयानबाजी और साम्प्रदायिक तनाव भड़काया जाना बदस्तूर जारी है। हिंदुत्व का एजेंडा अपने सभी षड्यंत्रों के साथ उफान पर है और देश की हवा में नफरत का जहर घोल रहा है।

कारपोरेट लूट और साम्प्रदायिकता के ये दोनों खतरे हमारे लोकतंत्र को बहुत खोखला बना रहे हैं। इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे साथियों को अब और अधिक दमनकारी व हिंसक सत्ता और उसके समर्थक असंवैधानिक हिंसक गुटों का सामना करना पड़ रहा है।

इन हालात में यह जरूरी हो जाता है कि अलग–अलग जनसंघर्षों के साथी सुनियोजित रणनीति के साथ अपनी लड़ाई को व्यापक तथा साझा बनायें तथा
अपनी एकजुटता बनाये रखते हुए, मजबूती से इस साझा लड़ाई को आगे बढ़ायें।

vkfM'kk
- ढिंकिया संकल्प
- सम्मेलन में पारित प्रस्ताव
- पोस्को विरोधी आंदोलन के समर्थन में तथा गैर–कानूनी खदानों की सीबीआई जांच की मांग पर प्रस्ताव

e/; izns'k
- ओंकारे"वर व अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावित लाभान्वित होंगे
- 17वां शहीद किसान स्मृति सम्मेलन मुलताई, 12 जनवरी 2015
- छिंदवाड़ा में पेंच व अडानी पावर परियोजना के विस्थापितों की मालिकाना हक की घोषणा
- अखिल भारत "िाक्षा संघर्ष यात्रा 2014 : रैली व भोपाल महा–पड़ाव से एकजुट संघर्ष की शुरूआत
- भोपाल गैस त्रासदी : और हमें देखते रहे !

rfeyukMq
- हमारी प्रकृति और भविष्य को बचाने का संघर्ष

fcgkj
- कोईलवर–जहरीले कचरे के कारखाने के खिलाफ ग्रामीण जनता एकजुट

fnYyh
- प्राकृतिक संसाधनों की कारपोरेट लूट के खिलाफ वन–जल अधिकार रैली
- भाटी माईन्स विस्थापितों का जंतर–मंतर पर प्रद"र्ान
- श्रम कानूनों में प्रस्तावित सं"ाोधनों के खिलाफ श्रमिक संगठनों का साझा सम्मेलन
- साम्प्रदायिकता के विरोध में रैली
- महान संघर्ष समिति ने दिल्ली में कहा अबकी बार हमारा अधिकार
- साम्प्रदायिकता के विरोध में 'कौमी एकता रैली'

mÙkjk[k.M
- यौन हिंसा के खिलाफ रैली व धरना
- श्रम कानूनों के अंतर्गत देय सुविधाएं एवं ई.पी.एफ. देने की मांग को लेकर सभा

>kj[k.M
- बांधों के उस पार क्यों ठहर गया है जीवन?

vkfM'kk

f<fd;k ladYi

ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के ढिंकिया गाँव में देशभर के जमीनी जनांदोलन अपनी चुनौतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए 29-30 नवम्बर 2014 को इकट्ठा हुए। 'जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन' के मंच पर 100 से ज्यादा जन-संगठनों से आए चार सौ से अधिक संघर्षशील साथियों ने विगत वर्षों के अनुभव, सरकारी दमन की स्थिति और खास तौर पर नई सरकार की कारपोरेट-हितैषी नीतियों के सन्दर्भ में भविष्य के रास्ते पर गहन विचार-विमर्श किया। पिछले दस सालों से चल रहे ऐतिहासिक पोस्को-विरोधी आंदोलन की कर्मभूमि ढिंकिया में हुए इस आयोजन का राजनैतिक महत्व यह है कि इस मौके पर सभी जमीनी आन्दोलनों ने राजनैतिक चेतना विकसित करने और परस्पर सामंजस्य पर बल दिया। इस अवसर पर एक साझा 'ढिंकिया संकल्प' का मसौदा पारित किया गया जिसे और अधिक व्यापक स्तर पर चर्चा के लिए जारी किया जा रहा है, ताकि इस पर विचार-विमर्श हों और व्यापक तथा साझा लड़ाई की तैयारी शुरू की जा सके।

मौजूदा दौर देश के मजदूरों, किसानों और समस्त मेहनतकश जनता के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर है। भारतीय राजसत्ता बहुत ही मुखर रूप से तमाम पूंजीवादी कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर मेहनतकश जनता का शोषण-उत्पीड़न कर रही है। चाहे श्रम कानूनों में सुधार लाकर मजदूरों के हकों को छीनकर उन्हें मालिकों की झोली में डाल देना हो चाहे देशी-विदेशी उद्योगपतियों को नई-नई परियोजनाएं; प्रोजेक्ट लगाने के लिए सस्ते दामों पर आम जनता की जमीनों को बेचना हो। भारतीय सरकार किसी भी क्षेत्र में कम नहीं दिख रही हैं। आम जनता के वह सभी अधिकार जो उन्होंने लम्बे जनसंघर्षों के जरिए हासिल किए थे सरकार उन्हें एक-एक कर खत्म करती जा रही है। इसके साथ ही सरकार तमाम मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों को देशी-विदेशी कारपोरेट को सौंपती जा रही है। आज वैश्वीकरण- उदारीकरण-निजीकरण के जरिए पूंजीवाद और पूंजीवादी ताकतों को ही लूट की छूट देने वाली नीतियां सबसे अधिक छाई हुई हैं।

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनिया बहुत ही तेजी से अपने पैर फैला रही हैं। वह देश के कोने-कोने में जाकर वहां निहित प्राकृतिक संसाधनों, कोयला, यूरेनियम इत्यादि, पर अपना कब्जा जमा रही हैं। ज्यादातर खनन के क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाकों में पड़ते हैं। फिर वह चाहे झारखण्ड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या ओडिशा। इन आदिवासियों का अपने जंगल और जमीन पर सार्वभौमिक अधिकार है। यह जंगल और जमीन ही इनकी पहचान हैं, इनका वजूद हैं। एक तरह से कहा जाए तो यह जंगल ही इनकी जीवन रेखा हैं। लेकिन उन्हें उनकी अपनी विरासत से वंचित कर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जल, जंगल, ज़मीन पर अपना कब्जा जमाना चाहती हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारें इन मामलों में कंपनियों का ही साथ दे रही हैं।

विकास परियोजनाओं, यातायात, बाजार, होटल-मॉल, हवाई अड्डों तथा इनके लिए कच्चा माल, ऊर्जा, पानी उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ों, नदियों खनिजों, वनों तथा जमीनों की आवश्यकता होती है। अतः जमीनों की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए उसके अधिग्रहण को सरल-सुगम बनाने हेतु विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर भू अधिग्रहण कानूनों में विभिन्न छूटें दी हैं। अलग-अलग समय में केन्द्रिय सरकारें भूमि अधिग्रहण संशोधन करने की कवायद में लगी रही हैं।

सिर्फ भूमि ही नहीं बल्कि नदियों पर भी अब आम जनता का हक खत्म किया जा रहा है। देश की बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध परियोजनाएं चल रही हैं या पूरी हो चुकी हैं। इन बांधों के बनने से नदी के आस-पास का बहुत बड़ा भू-भाग पानी में डूब जाता है और उस भू-भाग पर रहने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसी परियोजनाओं के चलते पिछले 60 बरस में करीब 7 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी न तो इन परिवारों के लिए उचित पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाता है और न ही विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा मिलता है। अपनी जड़ों से उज़ाड़े जाने का दंश जो इन क्षेत्रों की जनता झेलती है वह तो कभी भी सरकार के एजेंडे पर होता ही नहीं है। इसके अलावा इन बांधों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कभी भी स्थानीय जनता

की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। उसका उत्पादन तो बड़े-बड़े शहरों में रह रहे उच्च वर्ग व बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स की आवश्यकताओं के मद्देनजर किया जाता है। और जब भी जनता इन बांधों के विरोध में अपनी आवाज उठाती है तो उसे बहुत बुरी तरह से दबा दिया जाता है।

भूमि अधिग्रहण की ही भांति परमाणु ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं को लागू किए जाने के की जड़ में भारत-अमरीका करार निहित है। इस करार को संभव बनाने के लिए भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और 'यूरेनियम आपूर्ति समूह' (उन देशों का समूह जो परमाणु अप्रसार की शर्तों पर कच्चे माल-यूरेनियम का निर्यात करते हैं।) से छूट प्राप्त करने के लिए सारे वायदे करने पड़े। इन्हीं वायदों का नतीजा है कि भारत सरकार के लिए अपनी ऊर्जा नीति में परमाणु ऊर्जा को विशेष स्थान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि भारत-अमेरिका परमाणु करार के तहत भारत ने अपनी नागरिक और सामरिक परमाणु सुविधाओं को अलग करने और अपनी सभी नागरिक परमाणु सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एंजेसी के सुरक्षा प्रावधानों के तहत रखने पर सहमति जताई है जिसके बदले में अमेरिका ने भारत को पूर्ण नागरिक परमाणु समर्थन देने का वायदा किया है। इस विस्तार से उन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक लॉबियों को मुनाफा होगा जो इन परियोजनाओं में उपकरण और अन्य ठेके मुहैय्या कराएंगी। इससे घोर अलोकतांत्रिक और अपारदर्शी ढंग से काम कर रहे परमाणु ऊर्जा विभाग की ताकत तथा प्रतिष्ठा और बढ़ेगी एवं केंद्रीकृत विकास की उस अवधारणा को बल मिलेगा जिसके तहत नवउदारवादी भूमंडलीकरण का एजेंडा आगे बढ़ रहा है।

इस सबसे हमारी असल प्राथमिकताएं पिछड़ जाएँगी जिनमें पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और बंटवारे के लिहाज से न्यायसंगत तथा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा-व्यवस्था का निर्माण करना शामिल है। परमाणु परियोजनाएं अत्यधिक महंगी हैं तथा स्थानीय खतरों, नियमन की कमियों एवं परमाणु तकनीक में निहित खतरों की वजह से विनाश का कारण बन सकती हैं।

इन हालात में जब आम जनता अपने हकों, अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठाती है तो उसकी आवाज को शासक वर्ग के द्वारा दबा दिया जाता है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध को हिंसात्मक प्रतिरोध का नाम देकर फर्जी गिरफ्तारियां की जाती हैं। लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता हैं। पुलिस थानों में उन्हें प्रताड़ित कर उनसे झूठे गुनाह कबूलवाए जाते हैं। यहां तक कि प्रतिरोध कर रही महिलाओं के साथ भी अमानवीय सुलूक किया जाता है। दरअसल इन सबके पीछे शासक वर्ग की एक स्पष्ट मंशा लोगों के दिलों में दहशत बिठाना होती है। जनता तक यह संदेश पहुंचाना कि किसी भी विरोध को कुचल दिया जाएगा जिससे जनता चुप-चाप बैठ जाए और सरकार तथा कारपोरेट के लिए अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना आसान हो जाए। किंतु इतिहास गवाह है कि जनता ने तमाम दमन उत्पीड़न के बावजूद अपने प्रति होने वाले अन्याय का पुरजोर विरोध किया है। ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत के इतिहास में बार-बार जनता ने शोषण व अन्याय के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष किया है, और वही आज भारत के कोने-कोने में मजदूर किसान भी कर रहे हैं।

केंद्र में नई सरकार के आने के बाद से ही स्थिति बद से बदतर ही हुई है। अभी तक जो भी हक अधिकार जनता को मिले हुए थे वह सभी एक-एक कर छीने जा रहे हैं। जनता के पक्ष में बने सभी कानूनों में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और उन्हें कॉर्पोरेट्स के मुताबिक बदला जा रहा है। इसका विरोध कर रही जनता को रोकने तथा भरमाने के लिए मौजूदा सरकार सांप्रदायिकता का दांव लेकर आई है। पूंजीपति अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए शोषण की धार को तेज करता है जिसकी वजह से समाज एक गहरे संकट में फंसता चला जाता है और जनता के उत्पीड़न की दर तेज होती जाती है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जनता एकबद्ध न हो जाए और आज का Crony Capitalism (पूंजीवाद का वह स्वरूप जहां पर देश की शासन व्यवस्था कॉर्पोरेट शक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है।) फलता-फूलता रहे इसके लिए जनता के संघर्षों को भरमाने और बहकाने के लिए राजनीतिक पार्टियां समाज में सांप्रदायिकता व आतंकवाद का डर फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। इस परंपरा को मोदी सरकार ने बखूबी निभाया है। वैसे भी भाजपा का सांप्रदायिक राजनीति का इतिहास है और अब केंद्र में आ जाने के बाद वह अपने हिंदू राष्ट्र के ऐजेण्डे को पूरी तरह से लागू करने पर उतारू है। गौरतलब है कि सांप्रदायिकता का एजेण्डा भी उतना ही लागू किया जाता है जितना वह पूंजीपतियों के हित में हो।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को औपनिवेशक करार करते हुए तथा जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण को रोकने के

लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 पारित किया गया था। यद्यपि इस कानून में बहुत खामियां रही हैं फिर भी इसे प्रभावीढंग से लागू नहीं किया। तथापि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कई मंत्री इसमें खतरनाक संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रस्तावित संशोधनों में दो सबसे बड़े संशोधन हैं प्रभावित परिवारों की सहमति तथा अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन। सहमति प्रावधान के तहत भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित परिवारों में कम से कम अस्सी प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित परिवारों में कम से कम 70 प्रतिशत की पूर्व सहमति जरूरी है। जबकि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सहमति प्रावधान की दोबारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं में भूमि का मलिकाना हक सरकार के पास होता है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं से सहमति प्रावधान हटाये जाने का प्रस्ताव है। वैकल्पिक तौर पर सहमति की जरूरत को कम करके 50 फीसदी तक लाया जा सकता है। दूसरी तरफ अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के प्रावधान के तहत जहां पहले प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में रह रहे समुदायों पर इस अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना अनिवार्य था वहीं प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन को इससे अलग रखा जाना चाहिए। यह अध्ययन बड़ी परियोजनाओं या पीपीपी परियोजनाओं तक सीमित होना चाहिए क्योंकि इससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। यह दोनों ही प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन तथा पारदर्शिता के हक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ही संशोधनों के बाद एक बार फिर से बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण लागू हो जाएगा और उसके परिणामस्वरूप लोगों की, किसानों की तबाही और बदहाली और बढ़ेगी। बल्कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने इन प्रस्तावित संशोधनों से आगे बढ़कर कारपोरेट पोषित नया भूमि अधिग्रहण कानून भी बना लिया है।

मोदी सरकार ने हाल ही में मजदूरों को तोहफे के नाम पर श्रम कानूनों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जो कि पूंजीपतियों को तोहफा और मजदूरों की पीठ में छुरा है। परिवर्तित होने वाले कानूनों में न्यूनतम वेतन, 8 घन्टे की ड्यूटी, ओवर टाइम, मजदूर महिलाओं से रात की पाली में काम करवाना, छुट्टियों में कटौती, ओवर टाइम के घंटे बढ़वाना और उसको कार्य काल में जोड़ना इत्यादि हैं। श्रमेव जयते के नाम पर हो रहे इन संशोधनों का सीधा फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को ही होगा। उन्हें इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के नाम पर रजिस्टर बनाने से मुक्ति दे दी गई है। अब उद्योगों पर किसी भी प्रकार की कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा अप्रैंटिस पर काम करने की अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। जिसमें तनख्वाह नहीं बल्कि वजीफा मिलेगा और उसे भी आधा सरकार वहन करेगी। 25 सितम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूंजीपतियों की एक भारी-भरकम महफिल में 'मेक इन इंडिया' का नारा बुलन्द किया। यह नारा मूलतः विदेशी पूंजीपतियों को सम्बोधित था जिसका मतलब था कि वे भारत में पूंजी लगाने आयें। उन्हें हर तरह की सुविधा और छूट मिलेगी। जाहिर सी बात है विदेशी पूंजीपतियों को दिए जा रहे यह लुभावने अवसर इस देश के आम मेहनतकश-मजदूर के श्रम की लूट पर ही टिके होंगे।

ठीक इसी प्रकार मोदी सरकार वनाधिकार अधिनियम तथा पर्यावरणीय कानूनों में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन लाने की कोशिश में हैं। जो सीधे-सीधे आदिवासी तथा स्थानीय समुदायों के हितों के विरुद्ध है। अपने जल-जंगल-जमीन के लिए पहले से ही लड़ रहे इन आदिवासियों के लिए इन संशोधनों के बाद अपने अस्तित्व को बचाये रखना मुश्किल हो जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने खनन कंपनियों के लिए खनन की सभी कार्रवाईयों तथा पर्यावरणीय मंजूरी को ज्यादा तेज तथा सुगम बनाने के प्रावधान बनाए हैं। इसको वास्तविकता में लागू करते हुए जावेड़कर ने तीन महीने के समयकाल में करीब 240 परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा कोयला खनन के मामले में 16 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम क्षमता के खदानों के लिए पहले से मौजूद जनसुनवाई के प्रावधान को समाप्त करने की बात चल रही है जिससे जनता की अपनी जमीनों पर हकदारी सीधे-सीधे समाप्त हो जाएगी। यही नहीं वनाधिकार नियम के तहत किसी भी परियोजना की मंजूरी के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन संबंधित प्रावधान को समाप्त किए जाने की भी प्रक्रिया चल रही है। सिंचाई परियोजनाओं में पहले से मौजूद प्रावधान जिसके अनुसार 2,000 हेक्टेयर से कम जमीन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी उसकी सीमा को बढ़ाकर अब 10,000 हेक्टेयर कर दिया गया है। केवल यही नहीं मोदी सरकार ने पर्यावरणीय कानूनों को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (एनबीडब्लूएल) का गठन किया जिसमें

सामाजिक संस्थाएं पूरी तरह से गायब हैं। यह वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम का इतना साफ उल्लंघन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली याचिका पर ही इस गठन पर स्टे लगा दिया। जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसे वन्य जीवन बोर्ड का गठन किया जो पूर्व वन अधिकारियों तथा शासक दल के समर्थक और नाकाबिल लोगों से भरा पड़ा है। जाहिर है यह बोर्ड केवल एक रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा।

इन प्राकृतिक संसाधनों की लूट और आम जनता के शोषण-उत्पीड़न के बीच प्रजातंत्र का चौथा खंबा कही जाने वाली मीडिया भी कार्यपालिका तथा विधायिका की भांति कॉर्पोरेट शक्तियों के समक्ष नतमस्तक है। देश के तमाम मीडिया संस्थान विभिन्न पूंजीपतियों की सेवा में लगे हुए हैं और जिसका परिणाम यह है कि हमारे देश में क्रिकेट से लेकर फिल्मों तक सबकुछ सुर्खियों में रहता है सिवाय आम जनता के दुख-तकलीफों तथा उनके द्वारा लड़े जा रहे जन संघर्षों के। बल्कि देखा जाए तो जन संघर्षों को जान-बूझकर मीडिया कवरेज नहीं देता है क्योंकि यदि ऐसी खबरें सुर्खियों में आ जाती हैं तो उनसे प्रेरित होकर देश के अन्य हिस्सों में भी विद्रोह के स्वर फूट पड़ने की संभावना रहती है। यही वजह है कि ओडिशा में 10 सालों से चल रहे पॉस्को प्रतिरोध संघर्ष से शेष भारत की अधिकांश मेहनतकश आबादी अनभिज्ञ है।

ऐसी परिस्थितियों में जब शासक वर्ग आम जनता और उसके संघर्षों पर एक सुनियोजित तथा सुगठित ढंग से आक्रामक हमले कर रहा है, हमारे लिए भी यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार करें। आज के समय की यह मांग है अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे जन आंदोलन एक व्यापक मोर्चे के तहत संगठित हों। अलग-अलग लड़कर अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाए हमें एक दूसरे के संघर्षों में सहभागिता करनी होगी। इससे न केवल हमारा अपना संघर्ष मजबूत होगा अपितु एक दूसरे के संघर्षों से जुड़कर हम एक व्यापक दायरे में पूरे देश में आम जनता के ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार कर सकेंगे। सही लड़ाई तभी आगे बढ़ पाएगी जब मजदूर-किसान-आदिवासी एक ही परचम के नीचे एकत्रित हो अपने खुद के संघर्ष को तीखा करने के साथ-साथ एक दूसरे के संघर्षों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करके जन आंदोलन खुद एक नई राजनैतिक प्रक्रिया शुरू कर सकेगें।

आज के दौर में जब शासक वर्ग की हमलावर नीतियां अपने चरम पर हैं ऐसे में उनसे मुकाबला करने का एक ही रास्ता है और वह है जमीनी स्तर पर अपने संघर्षों को मजबूत करना। हम जितनी मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर अपने संघर्ष को तीखा करेंगे उतनी ही सशक्तता के साथ हम इन नीतियों का मुकाबला कर सकेंगे।

इन संघर्षों को हमको आगे बढ़ाते हुए अपनी रणनीतियों और रणकौशलों दोनों का ही ध्यान रखना होगा और बदलते वक्त के साथ-साथ हमें अपने रणकौशलों में भी परिवर्तन करते रहना होगा। जिस तरह से सरकारें और पूंजीपति अपनी सुविधा के लिए कानूनों को तोड़-मरोड़ रहे हैं ऐसे में हमें इस बात पर एक राय बनानी होगी कि हम अपने आंदोलनों को किस सीमा तक लेकर जाएंगे। ऐसे समय में जब हम पर होने वाले हमले कानूनों के दायरे से बाहर जा रहे हैं या फिर कानूनों में कारपोरेट के अनुसार परिवर्तन लाए जा रहे हैं, हम केवल संसदीय रास्ते से किसी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। संसद में जनता के योग्य प्रतिनिधियों को भेजकर हम इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं कि वह तात्कालिक तौर पर जनता को कुछ फायदा पहुंचा लें किंतु पूंजीवाद की गति और उसके तंत्र को देखते हुए हम संसद के द्वारा जनता के लिए एक बराबरी आधारित समाज बनाने का सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम संसदीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जनांदोलनों में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं पर काम करें।

हमें अपने संघर्षों को सफल मुकाम तक ले जाने के लिए ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे हम अपनी शर्तों पर सरकार से बात-चीत कर सकें। अब तक हमने सरकार के एजेण्डों पर बात की है अब हमें अपने आंदोलनों को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां सरकार हमारे एजेण्डे पर हमसे हमारी शर्तों पर बात-चीत करे, लेकिन इस बात को याद रखते हुए कि हमें हिंसक तरीका नहीं अपनाना है। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए जनवादी तरीके से संघर्ष करना हैं।

हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है और इतिहास गवाह है कि जनता की एकता के आगे बड़ी-बड़ी राजशाहियां ध्वस्त हुई हैं अतः हमें भी अपनी एकता को बनाए रखते हुए अंहिसात्मक और संसद के परे जाकर

अन्य तरीके अपनाने होंगे। दुनिया भर में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के खिलाफ लगभग सभी देशों में ऐसे जनांदोलन चल रहें हैं, जो कि मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं।

हमें अपने आंदोलनों को ब्राह्मणवाद, पितृसत्तावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों के विरुद्ध संघर्ष पर भी केंद्रित करना है। जिससे की न केवल हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें बल्कि दूरगामी तौर पर एक समता मूलक समाज की स्थापना भी कर सकें।

हम यहां एकत्रित विभिन्न जनांदोलनों के लोग यदि यहां से उठने के बाद सुनियोजित एकबद्ध तरीके से एक व्यापक मोर्चे के साथ जुड़कर अपने आंदोलन को और तीखा रूप देने के साथ-साथ एक दूसरे के आंदोलनों में पूरी शिरकत तथा सहयोग कर सके तो यह सम्मेलन निश्चित ही अपने सही अर्थों में सफल माना जाएगा।

इंकलाब जिंदाबाद

लड़ते भी चलो, बढ़ते भी चलो

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

ओडिशा के ढिंकिया गाँव में जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक़ के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में चर्चा के आधार पर प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करते हुए और सबकी सहमति से कार्यक्रम के आगे की रणनीति के मद्देनज़र निम्न प्रस्ताव पारित किया गया-

1. पोस्को-विरोधी जनांदोलन के प्रति समर्थन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का निरंकुश दोहन और लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के परस्पर विरोधी तमाम औद्योगिक परियोजनाओं के प्रति विरोध दर्ज किया गया और संघर्षरत आंदोलनों के प्रति एकजुटता दिखाई गयी. साथ ही खंडाधार में खनन के विरोध में जनांदोलन के प्रति भी सभी जनसंगठनों/ जनांदोलनों द्वारा समर्थन और एकजुटता दिखाई गयी.
2. पूंजीवाद को बढ़ावा देने और कॉर्पोरेट को लाभ पहुँचाने के लिए श्रम, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया गया और उसके विरोध में आंदोलनों का निर्णय किया गया.
3. अब तक हमने सरकार के मुद्दों पर बात की है अब हमें अपने आंदोलनों को उस मुकाम पर पहुँचाना होगा जहाँ सरकार हमारे मुद्दों पर हमसे हमारी शर्तों पर बात-चीत करे.
4. साम्प्रदायिकता और संकेंद्रित पूंजीवाद (crony capitalism) के अंत:सबंधों को चुनौती देने और साम्प्रदायिकता के आधार पर बंटवारे का प्रतिरोध करने का निर्णय किया गया.
5. सांगठनिक प्रक्रियाओं में ब्राम्हणवाद, पितृसत्तावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसे मुद्दों के विरोध में साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर बल और समता-न्याय की संकल्पना को रेखांकित किया गया.
6. सत्ता का विकेन्द्रीकरण और ग्राम सभा के सर्वोच्च अधिकारों की पैरवी की बात का सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया.
7. संसदीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जनांदोलनों में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं पर काम करने की ज़रूरत पर बल दिया गया.
8. सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोगों पर लगे झूठे और मनगढंत अभियोगों के प्रति साथ मिलकर संघर्ष और कानूनी कवायद करने की ज़रूरत को महसूस किया गया. साथ ही बंदी अधिकारों, पुलिसिया दमन और बढ़ते सैन्यकरण के मुद्दों को प्रस्ताव में शामिल किया गया.
9. संगठन की व्यूह-रचना को आगे बढ़ाने और स्थानीय संघर्षों को मज़बूत करने के साथ सांगठनिक स्वरूप पर ठोस समझ बनाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया. साथ ही छोटे आंदोलनों को मज़बूत करने और नयी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं की तैयारी की ज़रूरत को महसूस किया गया.

ikLdk fojk/kh vkanksyu dk leFkZu esa rFkk xSj&dkuwuh [knkuksa dh lh ch vkbZ tkap dh ekax ij çLrko

मौजूदा समय में पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के नेतृत्व में विगत दस सालों से ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में ढिंकिया चारादेस इलाके में जारी जनसंघर्ष कारपोरेट लूट के खिलाफ लड़ाई का एक ज्वलंत प्रतीक है. उसी ढिनकिया की संग्रामी भूमि पर 29–30 नवम्बर 2014 तक आयोजित जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन इस संघर्ष की जुझारू जनता को पोस्को प्रायोजित सरकारी दमन तथा साम दाम दंड भेद के हथकंडों के बावजूद लड़ाई को जारी रखने के लिए सलाम करता है. अब यह लड़ाई न सिर्फ प्लांट क्षेत्र की है, बल्कि पोस्को के लिए सुन्दरगढ़ जिले के खंडाधार पर्वत से लौह अयस्क खुदाई के लिए अनुमति देने के बाद उस क्षेत्र में खंडाधार सुरक्षा समिति के नेतृत्व में स्थानीय आदिवासियों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है.

सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने का नारा देकर केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा पोस्को प्रोजेक्ट की स्थापना के खिलाफ जारी इस ऐतिहासिक संघर्ष को ये सम्मेलन पूर्ण समर्थन का ऐलान करता है. ढिंकिया इलाके में जारी पोस्को प्लांट विरोधी संघर्ष एवं खंडाधार पर्वत क्षेत्र में शुरू खदान विरोधी आंदोलन की आवाज को भुवनेश्वर और दिल्ली के स्तर पर बुलंद करने का संकल्प ये सम्मेलन लेता है. इस संघर्ष की जीत के लिए देश भर के संघर्षशील साथी अपने संकल्प को दोहराते हैं.

पोस्को प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए जिस तरह पूर्व सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कंपनी दबाव बनाती थी उसी तरह मौजूदा प्रधानमंत्री के कोरिया दौरे के दौरान पोस्को कंपनी द्वारा दबाव बनाया गया. भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह ऐलान करना कि पोस्को प्रोजेक्ट के लिए सारे अवरोध खत्म किये जाएंगे, हमारी सरकार कैसे विदेशी कंपनियों के लिए झुक रही है यह दर्शाता है. हमारे मुल्क की संप्रभुता को समाप्त करने जैसे इस सरकारी आत्मसमर्पण की यह राष्ट्रीय सम्मलेन घोर निंदा करता है.

विगत दो दशकों से उदारीकरण के नाम पर देश के खनन क्षेत्रों में देशी–विदेशी कंपनियों को इजाजत देने के बाद देश भर के जनांदोलन इन गलत नीतियों के परिणाम स्वरुप प्राकृतिक संपदाओं की बेलगाम लूट का सवाल उठाते रहे हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त शाह आयोग के द्वारा ओडिशा के अलावा दूसरे राज्यों में जारी खनन की व्यापक जांच के बाद इन्हें गैर–कानूनी घोषित किया तथा सी बी आई की जांच की सिफारिश भी की. इसी तरह सेन्ट्रल एमपावर्ड कमिटी (सी ई सी) ने भी गैर–कानूनी खदान का पुष्टिकरण करते हुए ठोस कारवाई करने का सुझाव दिया है. लेकिन चुनाव के समय भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाने वाली भाजपा की केंद्र सरकार शाह कमीशन की स्पष्ट सिफारिश के बावजूद सी बी आई जांच को लेकर चुप्पी साधे हुए है. जन संघर्षों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन यह मांग करता है कि देश के विभिन्न राज्यों में हुई गैर–कानूनी खदानों की सी बी आई द्वारा जांच की जाए और गुनाहगार कंपनियों तथा इसके लिए जिम्मेवार नेताओं दृ अफसरों पर कड़ी कारवाई की जाए.

जल, जंगल, जमीन और जीविका के हक के लिए लोकतंत्र की रक्षा में जनसंघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन

29–30 नवम्बर 2014, ढिंकिया, जगतसिंहपुर ओड़िसा

प्रस्तावकः प्रफुल्ल सामन्तरा और अभय साहू

e/; in'k

vkdkjs'oj o vij csnk ck/k ds gtkjks çHkkfor yHkkfUor gksx

मध्य प्रदेश सरकार ने नए भू–अर्जन कानून के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जहाँ भू–अर्जन की प्रक्रिया को 5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका हैं और भौतिक कब्जा अभी तक नहीं लिया गया है वहाँ भू–अर्जन की कार्रवाई निरस्त मानी जाएगी और यदि सरकार चाहे तो नए कानून के आधार पर नया भू–अर्जन कर सकती है। इस आदेश से ओंकारेश्वर और अपर बेदा बांध के हजारों प्रभावितों का भू–अर्जन निरस्त हो गया है। अब यदि सरकार चाहे तो नए सिरे से भू–अर्जन कर सकती है। उल्लेखनीय है कि गत 23 सितम्बर को खंडवा कलेक्टोरेट पर निर्देश दिए हैं। इस आदेश में स्पष्ट लिखा है– ”अधिनियम 2013 की धारा 24 की उपधारा (2) के अनुसार यदि किसी मामले में अधिनियम, 1894 की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड पारित हुए 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि बीत चुकी है और ऐसे मामलों में भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर (मुआवजा) का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे सभी मामले स्वतः व्यपगत समझे जायेंगे और यदि ऐसे मामलों में भू–अर्जन आवश्यक है तो अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नए सिरे से भू–अर्जन की कार्यवाही करना होगी।“

उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर व अपर बेदा बांध के

ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों और 26 सितम्बर को खरगोन कलेक्टोरेट पर अपर बेदा बांध प्रभावितों ने भू–अर्जन निरस्त होने संबंधी अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे.

jktLo foHkkx dk vkns'k

मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने 29 जनवरी, 2014 को आदेश निकालकर सभी जिला कलेक्टरों को नए भू–अर्जन कानून (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013) की धारा 24 के बारे में

सैकड़ों प्रभावितों का भू–अर्जन लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु पुनर्वास न होने के कारण आज भी भौतिक कब्जा उन्हीं के पास है। ऐसे में लगभग 1, 500 प्रभावित लोग इस सम्बन्ध में अपने आवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।

कलेक्टर खंडवा कार्यालय ने लिखा एन.एच.डी.सी. को पत्र नए कानून पर मध्य प्रदेश सरकार के उपरोक्त आदेश को खंडवा कलेक्टर कार्यालय से दिनांक 31 जनवरी 2014 को महाप्रबंधक, एन.एच.डी.सी. को भेजकर शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने को कहा है.

17ok 'kghn fdlku Lefr lEesyu eyrkb] 12 tuojh 2015

किसान संघर्ष समिति द्वारा हर वर्ष की तरह 12 जनवरी 2015 को 17वां शहीद किसान स्मृति सम्मेलन का आयोजन मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. में किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि 12 जनवरी 1998 को कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा षडयंत्र पूर्वक पुलिस गोलीचालन कर 24 निहत्थे किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गोली चालन में 150 किसान घायल हुये थे। गोलीचालन के बाद सरकार ने 250 किसानों पर 67 फर्जी मुकदमें दर्ज किये थे। जिनमें से 3 मुकदमों में डा. सुनीलम् को 52 वर्ष की सजा तथा अन्य तीन साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 24 फर्जी मुकदमें न्यायालय में लंबित है।

किसान संघर्ष समिति द्वारा हर महीने की 12 तारीख को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाता है। अब तक 223 किसान महापंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं। 225वीं किसान महापंचायत में इस वर्ष भी मुलताई–घ ोषणा पत्र 2015 जारी किया जायेगा तथा शहीद किसानों की स्मृति में 24 प्रथम आई छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। शहीदों की स्मृति में रक्तदान भी किया जाता है।

किसान संघर्ष समिति द्वारा स्थापना दिवस 25 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच हर वर्ष की तरह किसान अधिकार यात्रा भी निकाली जाएगी तथा विभिन्न ग्रामों मे शहीदों की स्मृति मे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

शहीद किसानों को श्रद्धांजली देने के 12 जनवरी 2015 के कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। आगमन की सूचना जिलाध्यक्ष जगदीश दौड़के को 09179124860, 09755474549 पर देने का कष्ट करें। मुलताई की दुरी नागपुर से 125 किमी, बैतूल से 50 किमी तथा भोपाल से 250 किमी है। सर्दी के समय ट्रेन देरी से चलती है इस कारण अनुरोध है कि 11 जनवरी को मुलताई पहुचने का कार्यक्रम बनाए।

आमंत्रण कर्ता

प्रदेश अध्यक्ष टंटी चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनीलम, जिलाध्यक्ष जगदीश दौड़के, लक्ष्मण बोरबन, कृष्णा ठाकरे, सुमनबाई कसारे, मोतीराम चौहान, प्रेमचंद मालवीय, साहेबलाल महाजन, शिवलु पटेल, मारोती कौशिक, रमेश सातपुते, प्रयाग सोलंकी, सुरेश सातपुते, लल्लु पवार, संतोष बारस्कर, हरिओम विश्वकर्मा, रघ्घु कोडले, हेमराज देशमुख, नानक देशमुख, होरीलाल रबडे, मानिक खाडे, भुरेन्द्र माकोडे, इन्द्रपालसिंह, भागवत परिहार, अशोक बरोदे, निरंकार साहू, सुखदेव मोहबे, कृपालसिंह सिसोदिया, लक्ष्मण परिहार, चौतराम पवांर, शिवशंकर साहू, गुडडू सूर्यवंशी, चन्द्रकला बाई, कलाबाई, ताराबाई, बुलंकीबाई, नान्हीबाई, दुर्गाबाई, कैलाश डोंगरदिये, लक्ष्मण बिन्झाडे, कय्युम भाई, सवाईराव पंडाग्रे, श्रीनिवास सोनी, छोटू बचले, मदन विजयकर, बलराम मालवीय, भीमसेन पवांर, कुलदीप पहाडे, देवीराम चौरे, निरापुरे मासाब, रमेश गावंडे, परसुराम सोनी, प्रहलाद अग्रवाल, जितेन्द्र सिंह, गुणवंतसिंह, मोटू गढेकर, रामदयाल चौरे, छित्तु चौरे, सुकदेव धाकड, डखरू महाजन, कलावतीबाई गढेकर, भूरा महाजन, राधिका नरवरे, हरिराम पवांर, गीता हारोडे, ढेपलू पवांर, केवलबाई गढेकर, रमलीबाई, बिनोदी महाजन, नत्थू बुआडे, लखन हारोडे, इन्द्रपाल नरवरे, शिवदयाल बनखेडे, श्यामा इंगले, शेषराव सूर्यवंशी, रघुनाथ विश्वकर्मा, नेहरू गुलबा के, अर्जुन हारोडे, लखन हारोडे, करमचंन्द हारोडे।

fNanokMk e: i:p o vMkuh ikoj ifj;kstuk d: foLFkkfirk: u: dh ekfydkuk gd dh ?kk"k.kk !

Hk&v tlu d: u, dkuu ¼2013½ d: rgr 0;ixr gk: xbl o"kk: igy: dh Hk&vfèkxg.k çfØ;k!

30 सितंबर 2014 को मध्य प्रदेश के छिंदवाडा में किसान संघर्ष समिति–जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के बैनर तले किसानों ने चेतावनी धरने का आयोजन किया। पेंच व्यपवर्तन परियोजना में की गई भू अर्जन की कार्यवाही को निरस्त करने, अडानी द्वारा छोटे झाड के जंगल पर किए गए अतिक्रमण हो हटाने, सार्वजनिक रास्ते और कुओं आदि की जनता को सुपूर्दगी किए जाने एवं अडानी के साथ माचागोरा बांध के पानी को बेचने के संमझौते को रद्द किए जाने की मांग को लेकर चेतावनी धरने का आयोजन किया गया है। धरने में उपस्थित किसानों को जनआंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय की राष्ट्रीय संयोजक सुश्री मेधा पाटकर तथा किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सुनीलम ने भी संबोधित किया।

इस मौके पर किसान संघर्ष समिति–जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय द्वारा छिंदवाडा में पेंच व्यपवर्तन परियोजना तथा अदानी पेंच पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित सैकड़ों किसानों द्वारा जनवरी 2014 से लागू भू अर्जन–पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (2) के तहत वर्षो पहले भू अधिग्रहीत की गई उनकी संपत्ति पर फिर से मालिकाना हक प्राप्त होने की तथा भूअर्जन प्रक्रिया निरस्त हो जाने की घोषणा की।

नए अधिनियम की धारा 24 में उल्लेख किया गया है कि 5 साल से अधिक समय से अवार्ड पारित हो चुके है, किंतु जमीन व मकान किसान के कब्जे में हैं, तो पुरानी भू–अर्जन कार्यवाही निरस्त मानी जायेगी, जहां अवार्ड पारित ही नहीं हुआ है, वहां पर नये भू–अर्जन के प्रावधान लागू होंगे, इस प्रकार किसान अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं। इस प्रावधान को लागू कराने के लिए किसान नीचे दिए गए प्रारूप में अपने क्षेत्र के जिलाधीशों के माध्यम से सरकार को सूचित कर सकते हैं।

इस आवेदन पत्र के साथ जिस मकान के मालिक किसान हैं, तथा खेत जो किसान के कब्जे में हैं, की फोटो निकलवाकर मकान के बिजली के बिल, संपति कर की रसीद, भूमि में खेती करने के दस्तावेज साथ में संलग्न करें।

प्रति,
जिलाधीश
जिला ...., राज्य......

आवेदकः नाम..पिता का नाम.. उम्र.........................व्यवसाय............ ....स्थान................. तहसील..................... जिला .... राज्य............ ।

विषयः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्"ीता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के परिपालन में कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं..............ग्राम............तहसील.....................जिला...................राज्य..........का निवासी हूं।

मेरा मकान/कृषि भूमि ....में स्थित है। यह संपत्ति .... परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, दिनांक........... से आज तक मेरे मकान, कृषि भूमि का भौतिक कब्जा मेरे पास है। आज दिनांक को मै अपने मकान में अपने परिवार के साथ निवास कर रहा हुॅं तथा उक्त कृषि भूमि पर मेरा कब्जा हैं। मैने उक्त भूमि पर खरीफ की फसल लगा रखी है। आज दिनॉक तक जल संसाधन विभाग द्वारा मेरी अर्जित संपत्ति का कब्जा/संयुक्त परिवार की संपत्ति का कब्जा नहीं लिया गया है। आज भी मेरे द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। इस लिए उपरोक्त संपत्ति का भू–अर्जन निरस्त हो चुका है। उस पर मेरा मालिकाना हक स्थापित हुआ है।

देश के संसद द्वारा पारित कानून भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्"िाता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) मे प्रावधान है कि उस संपत्ति पर मूल मालिक का कब्जा बरकरार है, उस संपत्ति की पूर्व की भू–अर्जन प्रक्रिया व्यपगत, निरस्त मानी जाएगी, तथा यह भी माना जाएगा की 1.1.2014 से मूल मालिक फिर से उस संपत्ति का भूमि स्वामी हो गया है।

मै उपरोक्त संपत्ति के कब्जे मे हूँ, और मूल मालिक हूँ। ऐसी उपरोक्त संपत्ति जिसका मै मालिक हूँ, न तो डुबोयी जा सकती है, न तो बर्बाद की जा सकती है, न ही उसपर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जा सकता है। भारत के संविधान नें मुझे यह अधिकार दिया है कि सरकार मेरी एवं मेरी संपत्ति की सुरक्षा करें। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जिलाधीश द्वारा किया जाता है। इस कारण जिलाधीश महोदय की यह जिम्मेदारी है कि वे मेरी संपत्ति की सुरक्षा करें। मुझे मेरे अधिकार से वंचित करना अपराध होगा, इसकी सूचना जाने।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के परिपालन में पूर्व मे अर्जित मेरी भूमि, मकान मेरे नाम पर दर्ज कर मुझे पावती (ऋण पुस्तिका) प्रदान करने का कष्ट करें।

स्थान .... आवेदन कर्ता का नाम हस्ताक्षर

दिनॉक ....

सुश्री मेधा पाटकर जी, डा. सुनीलम् तथा एड. आराधना भार्गव की उपस्थिति में पेंच परियोजना के प्रभावित 31 गांव के जिन आदिवासी और अन्य किसानों की बहुफसलीय जमीन 1986 से 2004 तक बहुत कम मुआवजा लेकर जबरन भू अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत आवेदन पत्र बड़ी तादाद में एकत्रित होकर धरना स्थल पर आए, जिलाधीश के प्रतिनिधि अनुविभागीय अधिकारी के सुपूर्द किए।

अडानी पेंच पावर प्रोजेक्ट के लिए भी 1988 में जिन 5 गांवो की जमीनें जबरन अधिग्रहित करके म.प्र शासन ने मुआवजे (10,000 रू./एकड) से कई गुना अधिक दाम (13,00,000 रू./एकड) लेकर कंपनी के अडानी कंपनी को बेची थी। इन किसानों ने उस जमीन को कंपनी से फैंसिग किए जाने के बावजूद चारागाह तथा वनउपज के लिए उस जमीन पर अपना भौतिक कब्जा कायम रखा। आज उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत आवेदनों के द्वारा अपना अधिकार घोषित किया।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के प्रभावितों ने अपने व्यक्तिगत आवेदनों के द्वारा यह मांग की है कि 01.01.2014 से उनका मालिकाना हक प्राप्त होते हुए, म.प्र. प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि वह इनके नाम से ऋण पुस्तिका जारी करें। इस कार्यक्रम के द्वारा म.प्र. के कोने कोने मे फैले हुए हर परियोजना के विस्थापितों को इस कानून के तहत अपना अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का मौका देकर ऐलान किया गया है।

नर्मदा घाटी में 24 अगस्त 2014 को बडवानी जिला स्तर पर, सरदार सरोवर के प्रभावित हजारों किसान, मजदूर, मछुवारा भाई बहनों ने एकत्रित होकर अपना हक पाने की घोषणा देश के 150 समर्थकों की उपस्थिति में की थी।

छिंदवाडा से व्यक्तिगत आवेदनों की प्रक्रिया भी म.प्र. में आज से चालू हो गई है। आने वाले दिनों मे बडवानी एवं धार के सरदार सरोवर के विस्थापित तथा बैतूल, सीधी, कटनी, सतना, रीवा आदि जिलो में यह प्रक्रिया आगे बढ रही है।

चेतावनी धरने को संबोधित करते हुए सुश्री मेधा पाटकर जी ने कहा कि जनआंदोलनो का राष्ट्रीय समन्वय यह ऐलान करता है कि जिस कानून के लिए देश भर में विविध संघर्ष होकर ब्रिटिश परंपरा की भू–अर्जन प्रक्रिया एवं कानून खत्म होकर नई न्याय पूर्ण विकास प्रक्रिया हो यह आग्रह रखा गया, जिसके चलते सर्वदलीय संसद के दोनों सदनों में एवं राष्ट्रपति ने यह नया कानून 2013 मंजूर किया उसे उपयोग में लाकर सभी विस्थापित/प्रभावित अपना अधिकार ले ले। सभी राजनीतिक दलों को यह चुनौती है कि आजादी के बाद किसानों के पक्ष में लाए गए इस कानून के किसी भी प्रावधान को वे न बदले तथा यह जाहिर करे कि वे किसानों के, खेती, खेतीहर एवं अन्य सुरक्षा के, ग्राम सभा के अधिकारों के पक्ष मे है या नही।

किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉ. सुनीलम् ने कहा कि छिंदवाडा में किसान विरोधी ताकतों ने पहले आंदोलन को कुचलने के लिए किसानों पर फर्जी मुकदमें लगाए एवं हमला कराया, मुझे सजा कराई, हमारे साथियों को जिला बदर कराया लेकिन किसान अपना हक पाने के लिए किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है। डॉ. सुनीलम् ने कहा कि सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन किसानों का संघर्ष सतत रूप से जारी था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि जमीन हड़पने वाली ताकतों को मुहंतोड जवाब देने के लिए किसानों ने कमर कस ली है। किसस की प्रदेश उपाध्यक्ष एड. आराधना भार्गव ने कहा कि छिंदवाडा के किसानों के लिए मेधा पाटकर जी को पुलिस दमन सहना पडा, जेल जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि 7 सालों से हम डटे हुए हैं। हमें कोई न तो खरीद सकता है, न ही हमें कोई डरा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून हमारे पक्ष में है, लेकिन सरकार की नियत में खोट है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उपस्थित किसानों को किसान संघर्ष समिति के संयोजक मण्डल के कुंजबिहारी शर्मा, कुंजबिहारी पटेल, बलराम पटेल, सुरेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टियों ने सदा किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है।

पार्टियों ने हमसें चार गुना मुआवजा दिलाने का लालच देकर हमसे वोट ले लिया। लेकिन अब पार्टियों के नेता किसानों को मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। संयोजक मंडल के नेताओं ने कहा कि हम न तो जमीन देंगे, और न ही पीछे हटेंगे। उपस्थित किसानों ने बार बार अपनी मालिकी की घोषणा को लेकर नारे लगाए। चेतावनी धरने में मुलताई के सेमझिरा ग्राम के देहगुड बांध प्रभावित किसानों ने किसस के बैतूल जिला अध्यक्ष जगदीश दोडके, उपाध्यक्ष संतोषराव बारस्कर, प्रेमचंद मालवी, महिला अध्यक्ष सुमन बाई कसारे, युवा साथी कुलदीप पहाडें ने छिंदवाडा के किसानों के समर्थन में अपने विचार रखे।

झिंगा वर्मा, राजकुमार वर्मा, कमल सिंह पटेल, राधेश्याम वर्ता,मेखलाल पटेल, बलराम पटेल, रोकेश वर्मा, रामा. चंद्रवंशी, अंजे चंद्रवंशी, गणेश यादव, विनोद वर्मा, रामभरोस साहु, कुष्णकुमार वर्मा, रूपेश यदुवंशी, दीपक माथे, नारायण वर्मा, जंतराम वर्मा, नवीन चंद्रवंशी, बंटी साहु, सुंदरलाल चंद्रवंशी, नत्थूलाल मालवी, जयराम उइके, ज्ञानलाल यादव, देवी पंचेश्वर, डा. रहमान, सुखलाल चंद्रवंशी, दिनेश चंद्रवंशी, रवि वर्मा, टिक्कु,केवलसिंह पटेल, रामगोपाल, दरेश, निहाली पटेल, अमर पटेल, नरेश पटेल, भरोस पटेल, श्यामलाल वर्मा,कांशीराम वर्मा, सखाराम वर्मा, दादू पटेल, बेजन उसरेठे, बगस वर्मा, रेखन गिर, सीताराम वर्मा, हीरा गिर, राजेन्द्र वर्मा ने भी किसानों को संबोधित किया।

vf[ky Hkkjr f'k{kk l?k"kZ ;k=k&2014 % jSyh o Hkksiky egk&iM+ko ls ,dtqV l?k"kZ dh 'kq:vkr

शिक्षा के निजीकरण, बाजारीकरण व सांप्रदायीकरण के खिलाफ और 'केजी से पीजी तक' पूरी तरह मुफ्त व सरकार द्वारा वित्त–पोषित 'समान शिक्षा व्यवस्था' की स्थापना के लिए, 'अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच', इसके 45 सदस्य व सहयोगी संगठनों व 200 से भी ज्यादा बिरादराना संगठनों द्वारा आयोजित 'अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा–2014' का भोपाल महापड़ाव 4 दिसंबर 2014 के अंतर्गत विशाल रैली का आयोजन भोपाल टाकीज से लेकर यादगार–ए–शाहजहानी पार्क तक किया गया।

देश की विविधता को दर्शाते और अनेक भाषाओं में समतामूलक शिक्षा के लिए संघर्ष की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए देश के कोने–कोने से आए 2500 से ज्यादा लोगों ने नारों, गीतों और कलरव संगीत के साथ भोपाल टाकीज से रैली निकालकर यादगार–ए–शाहजहानी पार्क तक आई जहां जोरदार नारों से रैली का स्वागत किया गया।

जनगीतों के बीच शाहजहानी पार्क में 'अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा' के तहत निकली पांच देश–व्यापी आंच. लिक यात्राओं के प्रतिनिधियों ने पांच मशालें भोपाल महापड़ाव स्थल पर समर्पित की।

वरिष्ठ शिक्षाविद व अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष मंडल सदस्य डॉ. अनिल सदगोपाल ने देश–व्यापी शिक्षा संघर्ष यात्राओं के अनुभव को सामने रखते हुए कहा कि 'शिक्षा संघर्ष यात्रा' का स्वागत हर जगह पर जनता के अलग–अलग तबकों ने पूरे जोश और उत्साह से किया। शिक्षा व्यवस्था पर पिछले दो से ज्यादा दशकों से जारी नवउदारवादी तथा सांप्रदायिक हमले को जनता पहचान रही है।

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष मंडल सदस्य प्रो. मधु प्रसाद ने कहा कि आज की सरकार शिक्षा के हक को वास्तव में लागू न कर के केवल लोकलुभावन मगर खोखले नारों और योजनाओं से जनता को बरगला रही है। लोग यह समझ चुके हैं कि स्कूल के लिए अच्छे व नियमित शिक्षक से लेकर शौचालय व साफ–सफाई की व्यवस्था कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी वित्तीय व आधारभूत प्रबंध न करके मोदी सरकार केवल लच्छेदार बातों में जनता को उलझाए हुए है।

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के अध्यक्ष मंडल सदस्य प्रो. जी. हरगोपाल ने शिक्षा के बाजारीकरण व सांप्रदायीकरण के खिलाफ व समान शिक्षा व्यवस्था के लिए 'भोपाल आह्वान' जारी किया। जिसके प्रति देश की अनेक वामपंथी व समाजवादी राजनीतिक दलों (यथा, सीपीआइ, सीपीआइ (एम), सीपीआई–एम.एल. (रेड स्टार), सीपीआई–एम.एल. (न्यू डेमोक्रेसी), सीपीआई–एम.एल. (लिबरेशन), समाजवादी जन परिषद) और जल–जंगल–जमीन के जनांदोलनों ने अपने समर्थन की घोषणा की। इसके 'शिक्षा संघर्ष यात्रा' के तीन सूत्रीय

मकसद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए भोपाल महापड़ाव से आगे लड़ाई को मजबूती से जारी रखने का संकल्प लिया गया।

यात्रा का तीन–सूत्रीय मकसद इस प्रकार हैः

देश में 'केजी से पीजी तक' समानता पर आधारित व हर तरह के भेदभाव से मुक्त, सरकार द्वारा वित्त–पोषित और पूरी तरह मुफ्त 'समान शिक्षा व्यवस्था' का निर्माण करना जिसमें 12वीं कक्षा तक 'समान पड़ोसी स्कूल प्रणाली' शामिल हो और जिसका प्रबंधन लोकतांत्रिक, विकेंद्रित व सहभागितापूर्ण हो। इस व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम बहुभाषीयता के संदर्भ में हमारी मातृभाषाएं होनी चाहिए और इसके लिए भारत की भाषाओं को कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका, व्यापार व वाणिज्य, विज्ञान व तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। इस आमूलचूल बदलाव के जरिए ही शिक्षा व्यवस्था संविधान के आदर्शों के अनुरूप देश में लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, न्यायशील, प्रबुद्ध और मानवीय समाज के निर्माण में सक्षम बन पाएगी।

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि,

शिक्षा में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आइ.) समेत निजीकरण और बाजारीकरण की सभी नीतियों को रद्द किया जाए। साथ ही, विश्व व्यापार संगठन–गैट्स के पटल पर पेश उच्च शिक्षा के 'प्रस्ताव' को तुरंत वापस लिया जाए, इससे पहले कि वह वर्तमान में जारी 'दोहा चक्र' की वार्ताओं के ख़त्म होते ही बाध्यकारी हो जाए। तभी शिक्षा नीति के निर्धारण में देश की संप्रभुता को पुनर्स्थापित करना मुमकिन हो पाएगा और शिक्षा में हर तरह के सांप्रदायीकरण को खत्म किया जाए, साथ ही जातिगत, नस्लीय, पितृसत्तात्मक, संकीर्ण और विकलांगता–विरोधी भेदभावों व पूर्वाग्रहों और गैर–तार्किकता व अंधविश्वास को शिक्षा से बाहर किया जाए क्योंकि ये न सिर्फ देश के सामाजिक ताने–बाने को कमजोर करते हैं बल्कि किसी खास वर्ग, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग, भाषा, अंचल या तथाकथित 'सामान्य' शरीर की श्रेष्ठता के बेबुनियाद व अमानवीय विचार को थोप कर देश की समृद्ध विविधता को नकारते हैं और नवउदारवादी लूट के खिलाफ हमारी व्यापक एकजुटता को तोड़ते हैं।

भवदीय

लोकेश मालती प्रकाश (9407549240)

मीडिया, संचार व प्रकाशन संयोजक, अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा–2014

Hkksiky xSl =klnh % vkSj ge s n[krs jgs !

vkt 3 fnlEcj dks Hkksiky xSl =klnh dks 30 lky gks jgs gS- 3 fnlEcj 1984 Hkkjrh; bfrgkl dk cgqr gh n[kn fnu gS ! tc Hkksiky nqfu;k dh lcls cM+h vkS|kfxd; =klnh dk lk{kh cuk ftlesa rdjhcu 20]000 yksxksa dh ekSr gqbZ vkSj gtkjksa yksx ?kk;y gq,- bl [krjukd xSl ds yhd gksus ls djhc ikp yk[k ls T;knk dh vkcknh çHkkfor gqbZ vkSj bl ?kVuk ds dkj.k murhl lky ckn Hkh Hkksiky esa gj fnu ,d ekSr gks jgh gSA i;'k gS fpUe; feJ dk Hkksiky xSl =klnh dk fo'ys"k.k djrk vkys[k ftlls ge lcds lkHkkj vkils lk>k dj jgs gSA

भोपाल गैस त्रासदी को इस 3 दिसंबर को 30 बरस हो जाएंगे। त्रासदी में अनुमानतः 15 हजार से 22 हजार लोग मारे गए थे और 5,70,000 भोपाल निवासी या तो घायल हुए या बीमार और अब तक घिसट–घिसटकर अपना जीवन जी रहे हैं। इन तीस वर्षों में कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, समाजवादी, तृणमूल से लेकर अन्नाद्रमुक व द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार पर काबिज हुए और चले गए। यानि ताज उछाले भी गए और तख्त गिराए भी गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन हम देखते ही रहे।

इन तीन दशकों में न्यायालयों से आए एकमात्र फैसले में कुछ लोगों को नामालूम सी प्रतीत होने वाली सजाएं भी हुई और वे जमानत पर छूट गए। इस पूरी त्रासदी का मुख्य सूत्रधार वारेन एंडरसन अपनी 90 बरस से अधिक की आयु प्राप्त कर अमेरिका में चैन की नींद सो गया और हम यहां दस्तूर की तरह हर बरस उसका पुतला जलाते और अगले बरस का इंतजार करते रहे। प्रभावितों के संगठन अपनी लंबी थका देने वाली संघर्ष यात्रा के बावजूद डटे रहे हैं, लेकिन वे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कलंक भरे इन तीन दशकों ने भारत नामक राष्ट्र की परिकल्पना और उसके सरोकारों पर बढ़े प्रश्न खड़े किए हैं। भोपाल के थानों में आज यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों के बजाए संभवतः पीड़ितों पर अधिक मुकदमें दर्ज हैं। इससे जाहिर होता है कि लोकतंत्र में अंततः सरकारें अपने ही लोगों के सामने होती हैं।

न्यायालयीन व कानूनी प्रक्रिया की आड़ में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित कमोवेश धीरे–धीरे दुनिया छोड़ रहे हैं और कुछ वर्षों में उनके संस्मरण भी संभवतः हिरोशिमा परमाणु बम प्रभावितों की तरह सारी दुनिया को झकझोरेंगे। परंतु यहां स्थितियां भिन्न हैं। हिरोशिमा युद्ध का शिकार हुआ था और यहां हम कथित विकास का शिकार हुए हैं। हां, एक समानता जरूर है कि इन दोनों ही त्रासदियों में अमेरिका की शत–प्रतिशत भागीदारी थी। एक में सरकार के और दूसरे में कंपनी के माध्यम से। यानि युद्ध हो या विकास दोनों में अमेरिका का व्यवहार एक सा ही होता है। गौरतलब है सन् 1973 में ऑस्कर पुरस्कार को ठुकराते हुए प्रसिद्ध अभिनेता मार्लन ब्रांडो ने कहा भी था कि एक स्तर के बाद अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित करने में दोस्ती व दुश्मनी की सीमा को भूलकर एक सी क्रूरता पर आमादा हो जाता है। अपने अनूठे लेख एनिमल फार्म भाग–2 में अरुंधति राय, तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश का भाषण कुछ इस तरह लिखती हैं, "अमेरिका में हम अलमारी में बम नहीं, प्रेत रखते हैं। हमारे प्रिय प्रेतों के भी प्यार से बुलाने वाले नाम हैं। उन्हें शांति, स्वाधीनता और मुक्त बाजार कहा जाता है। उनके असली नाम क्रूज मिसाइल, डेजी कटर और बंकर बस्टर है। हम क्लस्टर बम भी पसंद करते हैं। हम उसे क्लेयर कहकर बुलाते हैं। वह सचमुच बहुत खूबसूरत है और बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते हैं और फिर वह उनके चेहरे पर फट पड़ती है और उन्हें लंगड़ा लूला बना देती है या मार देती है।"

तो हम विकास के अमेरिकी क्लेयर से खेल रहे हैं? विश्व व्यापार संगठन को लेकर हुआ हालिया टीएफए समझौता भारत के गरीबों व किसानों के लिए क्लेयर से कम साबित नहीं होगा। परंतु इस सबके बीच सवाल यह उठ रहा है कि अंततः हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? भोपाल गैस कांड में मृतकों की बढ़ती संख्या को लेकर दायर मुक. दमें में अब तो म.प्र. सरकार हिस्सेदारी ही नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार के एजेंडे से तो यह त्रासदी बहुत पहले बाहर हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय पिछले तीस वर्षों से अपने–अपने तर्कों और कानून के दायरों में इस मामले में न्याय करने हेतु प्रयासरत हैं। मजेदार बात यह है कि भारत की सरकारें उद्योग स्थापित करने की औपचारिकताएं पूरा करने के लिए समय सीमा तय करने में दिन रात एक कर रही हैं। वहीं अपनी इस आपाधापी में यह भूल रही हैं कि राज्य का या व्यवस्था का मुख्य कार्य व्यापार को प्रोत्साहित करना नहीं वरन उसके शासन की परिधि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति फिर वह चाहे अमीर हो या गरीब न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराना है। यह बात ही समझ से परे है कि भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय व मुआवजा दिलवाना किस तरह सिर्फ गैर सरकारी संगठनों की ही जवाबदारी बनकर रह गया?

वहीं दूसरी और देश व दुनियाभर के संगठनों की आवाजें सरकार को इस दिशा में बाध्य क्यों नहीं कर पा रही हैं? सन् 1984 के बाद अमेरिका के कमोवेश सभी राष्ट्रपति और भारत के अधिकांश प्रधानमंत्रीयों ने एक दूसरे के देशों का औपचारिक दौरा किया है। लेकिन इस मामले पर कभी भी कोई सार्थक या स्पष्ट चर्चा सामने नहीं आई। इस गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं। क्या भारत सरकार उनसे इस विषय पर बात करने का साहस दिखाएगी? गैस प्रभावित अब अमेरिका के न्यायालयों में भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। बीसवीं सदी के नौवे दशक में हुई त्रासदी को इक्कीसवीं सदी का पहला दशक भी किसी परिणिति पर नहीं पहुंचा पाया। हमारी सारी लड़ाई अब मृतकों की संख्या और मुआवजे के इर्दगिर्द समेट दी गई है। ऐसा अनायास नहीं हुआ। सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ और पीड़ित समुदाय इस मकड़जाल में फंस गया और अब वह बाहर निकलने के लिए जितने अधिक हाथ पैर मारता है उतना ही उलझता जाता है।

भोपाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अमेरिका तक लोग इस 3 दिसंबर को पुनः इस त्रासदी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ऐसी खबर है कि केनेडा का वाद्यवृंद इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम भोपाल में देगा। इस दिन के लिए बनाए गए विशिष्ट गाने की एक पंक्ति का भावार्थ है, ''उस दिन जो हवा चली वह आपके लिए विकास का जहर भरा उपहार लाई।'' मूल बात यह है कि वह जहरीला विकास अब और अधिक विनाशकारी ढंग से हमारे सामने आ रहा है और हमारा शहरी मध्य वर्ग उस विकास के यशोगाथा गायन में मंजीरा बजा रहा है।

ऐसे में आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम विरोध करने की बंधी–बंधाई रस्मों से बाहर निकले और इस त्रासद दिन को विकास की नई अवधारणा के मूल्यांकन का दिन माने। हम सभी देख रहे हैं कि सरकारों की निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और। हमें अब उनकी आंखों में आंखे डालने के बजाए उस स्थान पर ध्यान लगाना होगा जहां पर कि वे निशाना लगाना चाहते हैं। कैग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्रों) की वजह से राष्ट्र को प्रत्यक्ष करों की गैरअदायगी से सीधे–सीधे 84 हजार करोड़ रु. का नुकसान हुआ है और यदि पूरी कर हानि की गणना करें तो यह राशि करीब 1.75 लाख करोड़ रु. तक पहुंचती है। वहीं भोपाल गैस पीड़ित कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? मगर सरकारों को इस तरह से सोचने की आदत ही नहीं है। जनआंदोलनों की कोशिश होना चाहिए कि सरकारों को इस तरह से सोचने की आदत पड़े। देशभर में चल रहे संघर्षों को अब नए सिरे से विमर्श करना होगा और एकजुटता बनानी होगी। कुछ ऐसे उपाय सोचने होंगे जिससे कि शासन तंत्र को उनके पास आने को मजबूर होना पड़े और पीड़ित को याचक बनने की पीड़ा से मुक्ति मिल सके।

rfeyukMq

gekjh ç—fr vkj Hkfo"; dk cpkus dk l?k"k

^ijek.kq eqDr Hkkjr dh fy, jk"Vªh; vfHk;ku* dU;kdqekjh
ls d'ehj jSy ;k=k uoEcj 7 ls 17] 2014

हम शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दें कि हम अपने सभी देशवासियों, खासकर गरीबों समेत, अपने देश का विकास चाहते हैं. इसलिए हम ऊर्जा उत्पादन करने वाली योजनाओं और प्रकल्पों का समर्थन करते हैं.

हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमें ऊर्जा का उत्पादन सूरज, वायु, जलधाराओं और कचरे इत्यादि से करना चाहिए ताकि हमारी जमीनें, पानी, हवा, समुद्र और उससे मिलने वाले खाद्य, पशु और फसलें बरबाद ना हों. आखिरकार भोजन, पौष्टिकता और साफ हवा को बचाना ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है.

लेकिन भारत सरकार भारत में कई जगहों पर परमाणु ऊर्जा के पार्क बनाना चाहती है जहां छः से दस संयत्र लगाए जाएंगे – तमिलनाडु में कलपक्कम और कूडनकुलम, आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा, ओडिशा में पती सोनापुर, पश्चिम बंगाल में हरिपुर, कर्नाटक में कैगा, महाराष्ट्र में जैतापुर और तारापुर, गुजरात में मीठी विरदी, राजस्थान में बांसवाड़ा और रावतभाटा, हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, इत्यादि। ये अणु–बिजलीघर अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद से बनाए जाएंगे। अमेरिका ने पिछले कई दशकों से अपने यहां नए परमाणु कारखाने नहीं बनाए हैं. फुकुशिमा दुर्घटना के बाद जापान ने अपने सारे 52 संयंत्र बंद कर दिए हैं. जर्मनी ने अपने सारे अणु–बिजलीघर क्रमशः बंद करने का निर्णय लिया है. क्या हमें भारत को इन देशों द्वारा खुद छोड़ी गयी असुरक्षित और खर्चीली तकनीक बेचने की जगह बनने देना चाहिए?

भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया, कजाखिस्तान और नामीबिया जैसे देशों से यूरेनियम ईंधन आयातित करेगी, जिन्होंने खुद अपने यहां एक भी प्लांट नहीं लगाए हैं.

परमाणु ऊर्जा सस्ती नहीं है. जमीन अधिग्रहण, लम्बी अवधि के निर्माण की लागत और इसमें निर्माण पूर्ण होने के पहले ही समय के होने वाली मूल्य–वृद्धि, सुर क्षा इंतजामों खर्चे, संयत्रों आयु खत्म होने उनको सुरि क्षत तौर पर बंद करने का खर्च जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, खतरनाक परमाणु कचरे के भंडारण और प्रबंधन की लागत – परमाणु ऊर्जा उत्पादन के हर स्तर पर बेलगाम खर्चे होते हैं जिनको सरकार भारी सब्सिडी देकर पूरा करती है.

परमाणु ऊर्जा साफ–सुथरी नहीं है. इसके निर्माण और संचालन की प्रक्रिया में यूरेनियम खनन से लेकर कचरे के भंडारण तक भारी मात्रा में स्टील और सीमेंट खर्च होता है जिसके लिए अंततः कार्बन–उत्सर्जक पेट्रोल और बिजली ही काम आती है. इन सबसे अतिरिक्त प्रदूषण होता है जो उस संयत्र के प्रदूषण में नहीं गिना जाता है. अणु–बिजलीघरों से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी निकलता है जो 48,000 सालों तक घातक बना रहता है. भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में सरकार इतने ज्यादा कचरे का क्या करेगी, कहाँ र खेगी?

परमाणु ऊर्जा स्वास्थ्यप्रद नहीं है. परमाणु संयत्र अपने पास के समुद्र या नदी में बड़ी मात्रा में गर्म और विकिरण–युक्त पानी संयंत्र को ठंडा रखने में इस्तेमाल होने के बाद वापस छोड़ते हैं. इससे समुद्र का पानी और भूगर्भीय जल प्रभावित होता है. ये संयत्र आयोडीन, सीजियम, स्ट्रॉन्शियम और टेलीरियम जैसे घ ातक तत्व दिनरात हवा में छोड़ते हैं. इन सबके कारण आस–पास की आबादी गर्भावस्था की बीमारियां, बच्चों में जन्मजात अपंगता, विकिरण–जनित अन्य रोग और कैंसर इत्यादि का शिकार बनती है.

परमाणु ऊर्जा नैतिक नहीं है. चालीस–पचास साल की आयु वाले इन संयंत्रों के अल्पकालिक फायदों के लिए हमें अपने होने वाली पीढ़ियों के भविष्य और प्रकृति से खिलवाड़ करने का क्या हक है? हमारे नेता और राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों से मिले कमीशन की वजह से इस नीति का समर्थन करते हैं.

हमारी समस्याओं का हल परमाणु ऊर्जा नहीं है. जलवायु–परिवर्तन का समाधान अणु–बिजली नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन–उत्सर्जक प्रक्रियाओं का बहुत

इस्तेमाल होता है. परमाणु ऊर्जा हमारी धरती पर जानलेवा कचरा फैलाती है. अणुऊर्जा से देश की बिजली का सिर्फ 2 प्रति"ात बनता है और भविष्य में भी इसका कुल योगदान कम ही रहने वाला है.

क्या हमें अपनी राजनीतिक और आर्थिक–सामाजिक आजादी इन संयत्रों के लिए भेंट चढ़ा देनी चाहिए? क्या हमें फिर से पूरे देश को गुलाम हो जाने देना चाहिए? या हमें नए तरीके से सोचना चाहिए और अपनी समस्याओं का सकारात्मक हल ढूंढना चाहिए?

जैसा महात्मा गांधी ने कहा था – 'जमीन, हवा और पानी हमें अपने पूर्वजों से सौगात में नहीं मिली है, ये सब हमारे बच्चों का कर्ज है और हमें उनको वैसे ही सौंपना चाहिए जैसा हमको मिला।'

आइये, हम मिलकर एक 'परमाणु मुक्त भारत' बनाएं। इससे जुड़ी डील–करार, खनन, संयंत्र, कचरागाह बमों का विरोध करें।

परमाणु ऊर्जा विरोधी जनांदोलन (PMANE)

इदिंतकराई, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु

---

fcgkj

dkbyoj & tgjhyk dpjk d dkj[kkuk d f[kykQ xkeh.k turk ,dtV

एक और सरकार और प्रशासन की पहल पर कार्यालयों और मोहल्लों में सिर्फ झाड़ू लगाकर 'स्वच्छ भारत' बनाने का नाटक किया जा रहा है, वहीं दूसरी और पूरे देश में सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रकृति की 'स्वच्छता' नष्ट हो रही है और तमाम प्राणियों की जिंदगी पर संकट बढ़ रहे हैं। खतरा हमारे घर–आंगन तक भी आ पहुंचा है। बिहार के आरा जिले के महुई बलहा मौजा के चनपुरा–हरिपुर गांव के पास 200 मीटर के अंदर खतरनाक कचड़ा जलाने वाले जिस कारखाने का निर्माण करने के लिए राम्के कंपनी एड़ी–चोटी का जोर लगाए हुए है, अगर वह कारखाना बन गया तो यह जनता के स्वास्थ्य और पूरे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होगा। रिहाइशी इलाके और सोन नदी के बीच खेती योग्य 57.24 एकड़ जमीन पर बनाए जाने वाले इस कारखाने में बिहार के 18 जिलों के 99 कारखानों के 50 हजार मैट्रिक टन जहरीले कचड़े को जलाने की योजना है। कारखाना के शुरू होने के प्रथम चरण में ही यहां 25 हजार टन कचड़ा दफनाने की योजना है। 1500 टन अस्पताल का कचड़ा और 30 हजार टन इलेक्ट्रॉनिक कचड़ा भी यहां लाया जाएगा। राम्के कंपनी के अनुसार इस कारखाने को रोजाना 423 किलोलीटर जल की जरूरत होगी। इस कारखाने से रोजाना 80 किलोलीटर जहरीला प्रदूषित पानी बाहर निकलेगा। इस प्रस्तावित कारखाने के दूसरे चरण में जहरीले तेल और कचड़े को जलाया जाएगा। इस कारखाने में लेड एसीड बैटरी, प्लास्टिक और कागज के कचड़े से भी छुटकारा पाने का प्रस्ताव है। तीसरे चरण के दौरान इस कारखाने में 2 मेगावाट ऊर्जा और 2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बात कही गई है।

यहाँ जो ऊर्जा उत्पादन होगा, उससे कई गुणा ज्यादा नुकसान कोईलवर क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ेगा। सवाल यह है कि जो कारखाने कचड़ा पैदा कर रहे हैं वे अपने ही क्षेत्र में उनसे मुक्ति का जरिया क्यों नहीं तलाश करते? और जहरीला कचड़ा पैदा करने वाले उद्योगधंधों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? जो कारखाना मालिक भारी मुनाफा कमाते हैं वही कचड़े को विनष्ट करने की जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाते? उनके द्वारा पैदा जहरीले कचड़े का कहर हम कोईलवरवासी क्यों झेलें?

विकास का झांसा देकर विनाश का खौफनाक खेल रचने वाली कंपनियों और उनका साथ देने वालों से सचेत रहना और उनका प्रतिरोध करना बेहद जरूरी है। ज्ञात हुआ है कि राम्के कंपनी ने छड़ का कार

खाना बनाने के नाम पर यह जमीन खरीदी थी। लेकिन अब यहां खतरनाक बीमारियों को जन्म देने वाले कारखाना के निर्माण की कोशिश की जा रही है। यह कंपनी पर्यावरण की देख–रेख के लिए बनाई गई संस्थाओं के निर्देर्शों की भी अवहेलना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण विशेषज्ञ आकलन समिति ने अपने 118 वे मीटिंग में इस कारखाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस संबंध में इसका लिखित ब्यौरा समिति की वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है। समिति के अनुसार रिहायशी इलाके से 200 मीटर के भीतर इस प्रकार के खतरनाक परिसंकटमय कचड़े के निबटान और भस्मीकरण की गतिविधि उचित नहीं है। कारखाने के लिए जो जगह चुनी गई है उसे कंपनी तर्कसंगत और न्याससंगत नहीं साबित कर पाई है। लेकिन कंपनी ने समिति को बरगलाते हुए 200 मीटर के बजाए 600 मीटर दूर रिहायशी इलाका होने की बात कहकर इस मामले में जन सुनवाई की अनुमति हासिल कर ली है।

कानून के मुताबिक इस कारखाने को स्थापित करने से पहले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2014, गुरूवार को 11 बजे दिन में अम्बिका शरण उच्च विद्यालय, जमालपुर में इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को बंद करने के पक्ष में अपना निर्णय सुनाएं।

ज्ञात रहे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 जनवरी 2013 के एक आदेश पर गौर करें जिसमें कहा गया है कि ''कचड़ा भस्मीकरण संयंत्र के 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों में गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पैर का कैंसर, लीवर का कैंसर, मलद्वार का कैंसर आदि के खतरे बढ़ जाते हैं''। सच तो यह है कि इस बदबूदार कचड़े का आने वाली पीढ़ियों पर भी खतरनाक असर पड़ेगा।

इस तरह के कारखाने से डायोक्सीन नामक जहरीला गैस निकलता है, जिसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर रासायनिक हथियार 'एजेंट ऑरेंज' के रूप में हमला करके किया था, जिसके फलस्वरूप अमरीकी और वियतनामी सैनिक लाइलाज रोगों से आज तक जूझ रहे हैं। वियतनाम का पर्यावरण और आहार श्रृंखला भी तहस–नहस हो गया था, जिसका दुष्परिणाम वहां के लोग आज तक भोग रहे हैं।

पूरे देश–दुनिया और अपने राज्य में भी जनता जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और अपने जीवन की रक्षा के लिए एकजुट हो रही है। पिछले वर्ष उड़ीसा के नियमगिरी क्षेत्र में आदिवासी ग्राम सभाओं ने वेदांता कंपनी के खनन पर रोक लगा दी। मेहदीगंज, बनारस में कोका कोला प्लांट के कारण बढ़ते जल संकट, जहरीले कचड़े और प्रदूषण से त्रस्त किसानों ने 12 साल की लंबी लड़ाई अंततः जीत ली, जबकि कांग्रेस–भाजपा के बड़े नेता बाकायदा कोका कोला प्लांट के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थें बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनता ने जानलेवा एस्बेस्टॉस कारखाने को बंद करा दिया है।

आइए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए कोईलवर में जहरीले कारखाने के प्रस्ताव को बहुमत से रद्द करें।

कोईलवर में सोन के किनारे की स्वच्छ जलवायु के कारण ही यहां गंभीर मानसिक रोगियों के हॉस्पीटल बनाया गया था। प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने से यहां के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा। कभी इस इलाके में स्वास्थ्य लाभ के लिए भी लोग आते थें ।

हम सरकार से खेती की बदहाल स्थिति में सुधार, अपने नौजवानों के लिए रोजगार, प्रदूषण मुक्त लघु–कुटीर उद्योगों के विकास की अपेक्षा रखते हैं, हम विकास के नाम पर विनाश फैलाने वाली नीतियों और कार्रवाइयों का विरोध करते हैं। हमारी आपसे अपील है कि जनप्रतिनिधियों पर भी प्रस्तावित कार खाने पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाएं। हमारी पार्टी भाकपा (माले) आपके जीवन की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा और आपके तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष के साथ खड़ी रहेगी।

भाकपा (माले) कोईलवर प्रखंड कमेटी

ubl fnYyh

çk—frd lalk/kuksa dh dkjiksjsV yWV ds f[kykQ ou&tu vf/kdkj jSyh

15 दिसम्बर को 'वनाधिकार कानून 2006' को पारित हुए 8 वर्ष हो गए लेकिन इस कानून को अभी तक देश में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। केन्द्र में मोदी सरकार ने सत्तासीन होते ही देश की प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट घरानों को औने पौने भावों में बेचने का ऐलान कर दिया है । इस सरकार–कम्पनी गठजोड़ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने व जनआंदोलनों की धार को तेज करने के लिए जंतर मंतर पर वन–जन अधिकार रैली आयोजन किया गया। पेश है अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन की विज्ञप्ति :

देश की संसद द्वारा वनों में रहने वाले वनाश्रित समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशिष्ट कानून 'वनाधिकार कानून' को 15 दिसम्बर 2006 को पारित किए अभी 8 वर्ष हो गए हैं लेकिन इस कानून को अभी तक देश में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे वनक्षेत्र में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। जल–जंगल–जमीन आदिवासियों, दलित एवं अन्य परम्परागत वनसमुदाय की पहचान व वजूद है जिसपर उनका सार्वभौमिक अधिकार है। इस सामाजिक व प्राकृतिक ताने बाने को यह सरकार व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मिल कर तबाह करने पर तुली हुई है जिससे केवल कुछ ही मुटठी भर पूंजीपतियों को मुनाफा होगा। वहीं दूसरी ओर देश की असंख्य वंचित समुदाय जो इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे मौके पर इस प्राकृतिक संसाधनों पर इस पूंजीवादी व साम्राज्यवादी ताकतों के हमले का मुंह तोड़ जवाब देना है जिसके के लिए देश के कई जनसंगठन व सामाजिक आंदोलन ढिंकिया, जगतसिंहपुर, ओडि"ाा में 29 व 30 नवम्बर को इकटठा हुए थे व उन्होंने यह कारपोरेट द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की इस लूट के खिलाफ जनमोर्चा बनाने का निर्णय लिया।

इस विशाल जन प्रदर्शन में प्राकृतिक संसाधनों पर समुदायों के अधिकार स्थापित करने के मुद्दों व अन्य जनमुद्दों पर काम करने वाले देश के जनसंगठन, यूनियन व सामाजिक संगठन शामिल हुए। इस मौके पर हमारी मुख्य मांगे हैं:–

- केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा राजनैतिक इच्छा जाहिर करते हुए वनाधिकार कानून–2006 को प्रभावी तरीके से पूरे देश में क्रियान्वित किया जाए व वनाश्रित समुदायों के वनाधिकार और विकास के अधिकारों को तत्काल क्रियान्वित किया जाये।
- वनाधिकार कानून की मंशा के तहत वनाश्रित समुदायों के सामुदायिक अधिकारों को तत्काल स्थापित किया जाए व राजस्व अभिलेखों में सामुदायिक अधिकारों की एक नयी श्रेणी को बनाया जाए।
- सभी तरह के लघु वनसंसाधनों, इमारती व जालौनी लकड़ी पर समुदायों के अधिकार स्थापित किये जायें और इन तमाम संसाधनों से वनविभाग व वनविभाग को होने वाली 50 हजार करोड़ से अधिक की आमदनी पर वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन–2012 के तहत वनाश्रित समुदाय की सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाये, जिससे वनाश्रित समुदायों की आजीविका बहाल हो और उनकी गरीबी दूर हो सके। तथा वनविभाग एवं वननिगम को वनों से बेदखल किया जाए।
- वनाधिकार कानून में अन्य परम्परागत वननिवासियों के लिये दी गयी 75 वर्ष के साक्ष्य की अनिवार्यता गैर–संवैधानिक है, इसे संशोधित किया जाये।
- चूंकि वनविभाग और वननिगम जो कि वनाश्रित समुदायों के साथ औपनिवेशिक काल से होने वाले ऐतिहासिक अन्यायों के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इन्हें वनक्षेत्रों से बाहर निकाला जाये।
- भारतीय वन अधिनियम–1927 को रद्द किया जाये, क्योंकि ब्रिटिश काल में बना यह कानून पूरी तरह से वनाधिकार कानून–2006 और संविधान के अनुच्छेद 39बी के खिलाफ है। चूंकि भा.व.अ.–1927 को अंग्रेजीकाल में वनों का विदोहन करने के लिये वनों पर औपनिवेशिक शक्तियों का प्रभुत्व कायम करने के लिये बनाया गया था और यह काला कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) के भी खिलाफ है, जिसमें कि लिखा गया है कि "All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution] in so far as they are inconsistent with the provisions of the fundamental rights to the eÛtent of such inconsistency] be void"

- वनप्रबंधन, नियंत्रण, रक्षण, विकास और आजीविका सम्बंधी कार्यक्रम के लिए वनाश्रित महिलाओं के ईदर्गिद कार्यक्रमों को ठोस रूप से विकसित किया जायें, जिनमें उनका प्रभावी हस्तक्षेप स्थापित किया जाये। क्योंकि महिला प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहती है तथा वे ही हमारी प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की क्षमता रखती हैं।
- वनविभाग व पुलिस द्वारा वनाश्रित समुदायों विशेषकर आदिवासियों, दलितों, गरीब तबकों व महिलाओं पर लगाये गये तमाम लाखों फर्जी आपराधिक मुकदमों को तत्काल खारिज किया जाये, व राजसत्ता द्वारा वनो पर निर्भरशील समुदायों का आपराधिक इतिहास बनाना बंद किया जाए।
- वनाधिकार कानून की धारा 3(एच) में दिये गये प्रावधान के अनुसार वनक्षेत्रों के सभी टॉगिया गांवों, वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाये। अभी तक उ0प्र0 ही अकेला ऐसा राज्य है, जहां जनपद लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क क्षेत्र के गॉव सूरमा व गोलबोझी सहित कई गॉवों को वनाधिकार कानून के तहत राजस्व का दर्जा दिया गया है, इस प्रक्रिया को देश के अन्य वनक्षेत्रों वाले राज्यों में भी अपना कर ऐसे और उदाहरण खड़े किये जायें।
- राजधानी दिल्ली क्षेत्र में आने वाले भाटी माईन्स असोला सेन्चुरी के अंतर्गत भागीरथ नगर को वनग्राम का दर्जा दे कर वहां रहने वाले ओड समुदाय के घुमन्तु जनजाति को वनाधिकार कानून के तहत बसाया जाए व उन्हें उजाड़ना बंद किया जाए। दिल्ली राजधानी में रहने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया जाए जिन्हें अन्य राज्यों में जनजाति का दर्जा प्राप्त हैं लेकिन जब वे दिल्ली में अपनी जीविका चलाने आते हैं तो यह दर्जा उनसे छीन लिया जाता है उदाहरण के तौर पर झाड़खंड, ओडि"ाा, मध्यप्रदेश व छतीसगढ़ के लाखों आदिवासी राजधानी में अपना बहुमुल्य श्रम का योगदान करते हैं।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां विशेष रूप से खनन और पावर प्रोजेक्ट कम्पनियां जो कि वनाधिकार कानून का खुला उल्लंघन कर रही है, उनपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उन्हें सख्त सजा दी जाये, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को कभी ना सुधर सकने वाला विध्वंस कर रही हैं।
- जे.पी, बिड़ला, रिलायंस, लानको, अडानी, मित्तल, टाटा, एस्सार और अन्य ऐसी कम्पनियों जिन्हें बड़े बॉधो और सुपर पावर प्रोजक्ट दिये जा रहे हैं, जोकि पर्यावरण के लिये अनुकूल नहीं हैं उनकी नये सिरे से जांच करके निरस्त किया जाये और इन कम्पनियों और समूहों पर बिड़ला के मालिक की तरह धोखाधड़ी, जालसाजी व प्राकृतिक सम्पदा की लूट का मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जाए व भारी जुर्माना लगाया जाये।
- वनक्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति समूहों, घुमन्तु जनजातियों और अन्य कमजोर समूहों को वनाधिकार कानून के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की जाये और जिला व राज्य स्तर पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर स्थापित किया जाये, क्योंकि उनके अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं की गई जो कि सरकार के लिये बहुत शर्मनाक है।
- वनक्षेत्रों में श्रम अधिकारों और श्रम स्तरों को सुनिश्चित किया जाये, सभी को सामाजिक सुरक्षा और सम्म. ानजनक मजदूरी मुहैया कराई जाये। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना करने को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जाये। समान काम–समान मजदूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी के लिये सकल स्वास्थ सुविधा और क्रमबद्ध पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, सभी की आजीविका के अधिकार सुरक्षित हों, सभी ठेका मजदूरों को नियमित किया जाये, सभी अस्थाई मजदूरों नियमित किया जाये व न्यूनतम मजदूरी का कम से कम 50 प्रतिशत बेरोजगार श्रमिकों के लिये सुनिश्चित किया जाये।
- भारत सरकार कम्पनियों की ऐजेंट के रूप में काम करना बन्द करे और देश के संविधान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार नियमों और आई.एल.ओ कन्वेंशन नं0 169 के अनुरूप पर्यावरण और जनतंत्र को की रक्षा के लिये वनाश्रित समुदायों के अधिकारों को स्थापित करने के काम पर केन्द्रित हो।

HkkVh ekbZUl foLFkkfirksa dk tarj&earj ij izn’kZu

जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है,

जल–जंगल और जमीन ये हों जनता के अधीन

पिछले 50 साल से जारी शोषण के विरोध में दिल्ली के भाटी माईनस विस्थापित, भागीरथ नगर के बाशिंदे, ओड़ घुमन्तु जनजाति की मजदूर महिलाएं एवं गांव के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन, अपने वंचित संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। 15 दिसम्बर 2014 को जंतर मंतर पर देश भर से आ रहे मेहनतकश वर्ग के हजारों संगठनों के साथ शामिल हो कर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेगे। पेश है अखिल भारतीय वन–जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP)की विज्ञप्तिः

हमारा गांव भागीरथ नगर पिछले 50 साल से भाटी राजस्व गांव की ग्राम सभा भूमि पर बसा हुआ है। हमारे ओड़ समाज के पांच हजार परिवारों ने 1965 से लेकर 30 साल तक भाटी माईन्स की विशाल और खतरनाक खदानों में कड़ा परिश्रम किया है। अनगिनत मजदूर खनन दुर्घनाओं में मारे गए हैं। सन् 1975 में खदानों की मिल्कियत भ्रष्ट सरकारी कम्पनी DSIDC/DSMDC को सौंपी गई थी, लेकिन श्रम कानूनों का उल्लंघन और श्रमिक अधिकारों का हनन जारी रहा। सरकार की तरफ से भाटी माईन्स लेबर कालोनी के नाम पर हमारे गांव को राशन की दुकान, बिजली, सड़क, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाए मुहैया कराई गईं। सन् 1990 में जब भाटी खानें अचानक बंद कर दी गईं, तब हम लोगों को हमारी किस्मत पर बेसहारा छोड़ दिया गया। न मुवाअजा मिला और न वैकिल्पक रोजगार। हमें रोजी–रोटी की तलाश में दूर दूर तक भटकने को मजबूर किया गया। पर हमने अपने आशियाने को नहीं छोड़ा जहां हमारी पहचान सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है। इतने में 1991 में आम चुनाव के मौके पर दिल्ली के शासक वर्ग ने DSMDC के भ्रष्टाचारी अफसरों को कानूनी जांच से बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र को सेंचुरी घोषित कर वनविभाग को गैरकानूनी व असंवैधानिक तरीके से सौंप दिया व रातों रात हमें अतिक्रमणकारी बना दिया गया और 1996 में बिना हमारी जानकारी के हमारे गांव को यहां से बेदखल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित कराया। हमारी पुरानी बसी आबादी को झुग्गी झोपड़ी कहकर अपमानजनक धब्बा दिया और गांव के विकास पर रोक लगा दी। आज सरकारी लेखे जोखे में भागीरथ नगर गांव का वजूद ही नहीं है, इस जगह संजय कालोनी जे0जे का उल्लेख है जिस का दर्जा एम अवैध शहरी स्लम का है। वे हमें यहां से बेदखल करने पर तुले हुए हैं।

इस बार दोबारा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पार्टियां, नेता, माफिया व दलाल सक्रिय हो कर घूमने लगे हैं व हमारे वोट का सौदा करने को तैयार बैठे हैं। इस चुनाव में आइए हम सभी मिल कर यह तय करें कि हम किसी भी पार्टी या दलाल के कहने पर अपना वोट नहीं बेचेंगे व अपने हक व मुददों पर जो उम्मीदवार काम करेगा या पार्टी काम करेगी, हम उनको एकजुट हो कर अपना मत देंगे। हमारे बहुत सारे मुददे हैं, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला विरोध हमें वनविभाग व सरकार द्वारा दिए गए हमें विस्थापित करने के नोटिस पर देना है व हमें सन् 2006 में संसद में पारित ''वनाधिकार कानून'' के तहत सम्मानजनक बसाए जाने की मांग करनी है। हमारे पंचायत गठन करने या फिर वार्ड पंचायत गठन करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया व सेंचुरी भी वनकानून की परिभाषा के अनुरूप गठित नहीं की गई, न ही इसमे वन है और न ही वन्य जन्तु। वन के नाम पर केवल कीकर के पेड़ हैं और वन्य जन्तु के नाम पर केवल बंदर, ये दोनों ही पर्यावरण के दुश्मन हैं। वनविभाग द्वारा करोड़ों का बजट इस सेंचुरी में बंदरों को खाना खिलाने व कीकर जैसे दूषित पेड़ों को बचाने में खर्च किया जा रहा है व उल्टे वनविभाग द्वारा यहां के आदिवासी घुमन्तु जाति के बच्चों व महिलाओं के ऊपर बंदरों का खाना चुराने का आरोप लगा कर उन्हें चोर बनाया जा रहा है। इसलिए आइए हम सब यह संकल्प लें

कि हम अपने भागीरथ नगर को एक आर्दश नगर बनाएंगे। इसे शोषण, अन्याय, भुखमरी, गरीबी और जातिगत हिंसा से मुक्त कराएंगे। इस संकल्प को लेने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 दिसम्बर 2014 को जंतर मंतर पर देश भर से आए मेहनतकश वर्ग के हजारों संगठनों के साथ शामिल हो कर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें।

gekjh ekx%

पहले एक हाथ से विकास दो और फिर दूसरे हाथ से वोट लो

- भागीरथ नगर भाटी माईन्स को सन् 2006 में संसद में पारित वनाधिकार कानून के तहत बसाया जाए। इस कानून के तहत संरक्षित वनक्षेत्र में रहने वाले घुमन्तु जनजातीय समुदाय को वनाधिकार के साथ–साथ इस कानून की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत 13 तरह के विकास के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- ओड़ घुमन्तु जनजाति समुदाय को पूरे देश में घुमन्तु जनजाति समूह का दर्जा दिया जाए।
- वनाधिकार कानून–2006 भाटी माईनस में रहने वाले ओड़ समुदाय के घुमन्तु जनजातीय समुदाय पर पूर्ण रूप से लागू होता है, चूंकि इस समुदाय को सरकार द्वारा ही खदानों में काम करने के लिए बसाया गया था व बाद में 80 के दशक में स्वयं सरकार द्वारा ही इस पूरे क्षेत्र को असोला सेंचुरी घोषित कर दिया गया। जिसमें भागीरथ नगर के तमाम संवैधानिक बुनियादी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया व ग्राम सभा से भी बाहर कर दिया गया। देश के संविधान व वनाधिकार कानून के तहत यहां के अधिकारों को बहाल किया जाए।
- इस कानून की धारा 2 की उपधारा छः में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि किसी भी वनक्षेत्र में अगर ग्राम पंचायत व ग्राम सभा नहीं है, तो वह अपनी ग्राम सभा गठित कर सकते हैं तथा इसी कानून की धारा 3 की उपधारा ज में यह अंकित किया गया है कि ऐसे गांव वनग्राम की श्रेणी में आते हैं व इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर तमाम विकास के कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
- भागीरथ नगर के गरीब व वंचित ओड़ घुमन्तु समुदाय को इस कानून की धारा 3 की उपधारा घ में स्पष्ट प्रावधान है कि यायावर समुदायों की मछली और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह के उपयोग या उनके हकदारी ओर पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक, जैसेय सभी वनोपज जलौनी लकड़ी, शहद, घास–फूस, तालाबों व मछली मारने पर अधिकार प्रदान किए जाएं।
- इसी कानून की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत सेंचुरी के अंदर क्रिटिकल वाईल्ड लाइफ हेबिटेट के कार्यक्रम के तहत वन्य जन्तुओं के संरक्षण व वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर योजना बन. ाने के प्रावधान हैं, लेकिन उल्टे वनविभाग यहां के समुदाय को अतिक्रमणकारी कह कर चोर बनाने पर अमादा है।
- इस कानून की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सभी विकास के अधिकार, संविधान के अनु0 21 में दिए गए ''जीने के अधिकार'' के मौलिक अधिकार के तहत व पंचायत की संशोधित अधिनियम के तहत इस गांव में जल्द से जल्द बुनियादी स्वास्थ के लिए 25 बेड की सुविधा वाला अस्पताल, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, सभी सड़कों का निर्माण, आंगनवाड़ी, सामुदायिक केन्द्र, जल एवं विद्युत योजनाएं, महिला पंचायत, बंदर व वन्य जन्तुओं के द्वारा घायल हो जाने की अवस्था में मुफ्त उपचार व मुआवजा भागीरथ नगर में ही देने के प्रावधान भी जल्द लागू किए जाएं।
- भाटी माईन्स में भ्रष्ट खदान कम्पनियों द्वारा श्रमिकों का वेलफेयर फंड जो कि करोड़ों में है, उसे वापिस किया जाए व यहां के श्रमिकों के विकास पर उसे खर्च किया जाए।
- DSIDC/DSMDC द्वारा अभी तक श्रमिकों को कम्पनी द्वारा लेखा–जोखा नहीं दिया गया व यह कम्पनी भगोड़ी है, जिसके द्वारा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया, इसे जल्द दिलवाया जाए।

- प्राकृतिक सम्पदाओं के ऊपर वनविभाग एवं सरकारी नियंत्रण के बदले सामुदायिक मालिकाना हक एवं स्वशासन कायम किया जाए व वनविभाग को वनों एवं वनभूमि से बेदखल किया जाए।
- महिला श्रमिकों के लिए खास तौर पर महिला श्रम योजनाए चालू की जाए, महिला हिंसा से निपटने के लिए व्यापक स्थानीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाए, भाटी माईन्स में महिला थाना को स्थापित किया जाए।
- जमीन एवं प्राकृतिक सम्पदाओं पर महिलाओं का अधिकार। असोला सेंचुरी के अंदर पैदा हो रही तमाम लघुवनोपज पर वनाधिकार कानून 2006 की संशोधित नियमावली 2012 के अनुसार सहकारी समितियों का गठन कर लघुवनोपज का मालिकाना हक़ समुदाय को सौंपा जाए।
- उद्योगों में ठेका–मजदूरी प्रथा को समाप्त किया जाए और नियमित किया जाए । समस्त श्रमजीवियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णतया लागू की जाए, सम्मान पूर्वक वृद्धा पेंशन योजना, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ व अन्य योजनाओं को लागू किया जाए। सभी श्रमिकों के लिए सम्मान से जीने लायक वेतन सुनिश्चित किया जाए।
- इस गांव में ओड समुदाय व वंचित तबकों के ऊपर जारी जातिगत हिंसा को समाप्त किया जाए।
- महिला श्रमिकों के लिए सम्मानजनक रोजगार का सृजन किया जाए।
- भागीरथ नगर में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए, स्कूलों में सफाई रखी जाए, प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय बनाए जाए व पानी की व्यवस्था की जाए, वनविभाग द्वारा उच्च माध्यमिक स्कूल के निर्माण पर जो रोक लगाई गई है उसे चालू किया जाए व 12वीं से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करना, जिसमें फीस के साथ किताबें व अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हों।
- जंगली जानवरों व बंदरों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों पर आक्रमण पर रोक लगाई जाए व बंदरों के उत्पात पर नियंत्रण किया जाए। बंदरों के घायल करने, हमला करने पर प्राथमिक उपचार वनविभाग द्वारा मुहैया कराया जाए व घायल को वनविभाग व सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए।
- संगठित क्षेत्र के लिए सातवें वेतन आयोग की तरह श्रमिक वर्ग के लिए अलग वेतन आयोग का गठन किया जाए।
- सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए व इन संसाधनों को लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित जांच के दायरे में रखा जाए। कारपोरेट घरानों के प्राकृतिक संसाधनों के एकाधिकार को समाप्त किया जाए ।

भागीरथ नगर महिला संगठन

अखिल भारतीय वन–जन श्रमजीवी यूनियन (AIUFWP)

न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (NTUI)

सम्पर्क : 8377922402, 9711684176,9811360937

भागीरथ नगर, संजय कालोनी, भाटी माईनस, नई दिल्ली

बी–137, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर फेस –4, नई दिल्ली 110024

Je dkuuksa esa izLrkfor la'kks/kuksa ds f[kykQ+ Jfed laxBuksa dk lk>k lEesyu

दिल्ली, 30 नवम्बर, केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा संयुक्त तौर पर एक साझा सम्मेलन आयोजित किया। इंकलाबी मजदूर केन्द्र, क्रांतिकारी नौजवान सभा, ए. आई. एफ. टी. यू. (न्यू), मजदूर एकता केन्द्र, आई. सी. टी. यू., मोर्चा पत्रिका, मजदूर पत्रिका व टी. यू. सी. आई., इस सम्मेलन के आयोजकों में शामिल थे।

इस सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को मजदूर वर्ग पर एक बड़ा हमला माना तथा इसका प्रतिरोध करने की जरुरत को एक महत्वपूर्ण कार्यभार के बतौर चिह्नित किया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि श्रम कानूनों में संशोधनों के खिलाफ साझा व स्वतंत्र कार्रवाइयों को संगठित करने की जरूरत है।

विभिन्न वक्ताओं ने श्रम कानूनों के संदर्भ में अपनी अवस्थितियों को भी रखा। इन अवस्थितियों में थोड़ा मतान्तर होने के बावजूद सभी संगठनों ने श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को मजदूर विरोधी व मजदूर वर्ग पर एक बड़ा हमला माना तथा इसके सशक्त प्रतिरोध की जरूरत को स्वीकार किया।

सम्मेलन के अंत में सभी संगठनों ने संयुक्त तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की खिलाफत करते हुए 5 दिसम्बर को साझा और स्वतंत्र तौर पर मजदूर वर्ग के प्रतिरोध संघर्ष में भागीदारी करने बात की गई।

lk>k lEesyu esa ikfjr çLrko

श्रम कानूनों में संशोंधनों का विरोध करो

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही भाजपा नीत राजग सरकार बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव लेकर समाने आयी है। प्रस्तावित संशोधनों का संबंध पांच श्रम कानूनों क्रमशः न्यूनतम वेतन अधिनियम–1948, कारखाना अधिनियम–1948, प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम–1961 तथा कुछ उद्यमों को रिटर्न भरने तथा रजिस्टर रखने से छूट संबंधी अधिनियम–1988 तथा बाल श्रम उन्मूलन व नियमन अधिनियम 1986 से है।

उपरोक्त में से कारखाना अधिनियम–1948, प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम–1961 एवं कुछ उद्यमों को रिटर्न भरने तथा रजिस्टर रखने से छूट संबंधी अधिनियम–1988 में प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय मंत्री परिषद द्वारा 30 जुलाई 2014 को पास कर दिये गये हैं जबकि प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा ने 14 अगस्त 2014 को पास कर दिया है। इस बीच राज्य सभा ने 25 नवम्बर 2014 को कुछ उद्यमों में रिटर्न भरने व रजिस्टर रखने से छूट से संबंधित विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस मूल कानून में संशोधन कर इसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की संख्या 9 से बढ़ा कर 16 कर दी गई है, जो सात और नये कानून इसमें जोड़े गये हैं उनमें प्रमुख रूप से मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट–1961, बोनस संदाय अधिनियम–1965, अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर (रोजगार नियमन व सेवा की स्थितियां) कानून–1979, भवन निर्माण व अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार नियमन व सेवा की स्थितियां) कानून–1996 शामिल हैं।

इस संशोधन में लघु उद्यमों की परिभाषा 19 मजदूरों वाले उद्यमों से बदल कर 10 से 40 मजदूरों वाले उद्यम कर दी गई है। प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम पर राज्य सभा में विचार–विमर्श चल रहा है।

कारखाना अधिनियम–1948 की धारा 66 में संशोधन कर महिलाओं से रात की पाली में काम कराने की छूट पूंजीपतियों को दी जा रही है। जिस समाज में कार्यस्थल व समाज में महिलाओं की सुरक्षा हमेशा संदिग्ध रही हो, वहां बेशर्मी के साथ इस संशोधन को महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि और उनकी आजादी से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है।

इसी तरह कारखाना अधिनियम–1948 की धारा 64 व 65 में भी संशोधन का प्रस्ताव है ताकि ओवर टाईम की समय सीमा बढ़ाई जा सके। प्रस्तावित संशोधन एक तिमाही में ओवर टाईम की सीमा मौजूदा 50 घंटों से बढ़ाकर 100 घंटे करने का है। जाहिर है इस संशोधन के बाद पूंजीपतियों के पास ओवर टाईम के बहाने घंटों मजदूरों को खटाना आसान हो जायेगा।

इस कानून के अन्य प्रस्तावित सुधार मजदूर को कारखाने में रोकने की अधिकतम सीमा (स्प्रैड ओवर टाईम)

को मौजूदा 10) घंटे से 12 घंटे करने का है, जिसे आगे मुख्य कारखाना निरीक्षक की अनुमति से 16 घंटे तक और विस्तारित किया जा सकेगा।

यह प्रस्ताव मजदूरों के शोषण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचायेगा। कारखाना अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन पूंजीपतियों को श्रम कानूनों की परिपालना के बारे में खुद को प्रमाण पत्र जारी करने तथा कारखाने में कारखाना निरीक्षक (फैक्टरी इन्सपेक्टर) के जांच करने या छापा मारने के अधिकार को पूरी तरह खत्म करने या निष्प्रभावी बनाने की बात की गयी है। प्रस्तावित संशोधन के बाद कारखाना निरीक्षक या इन्सपेक्टर द्वारा कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली द्वारा निरीक्षण किये जाने वाले कारखाने का चयन किया जा सकेगा। इस प्रकार कार खानेदारों के ऊपर श्रम व कारखाना संबंधी कानूनों के पालन हेतु किसी तरह का कोई दबाव नहीं रह जायेगा।

प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार कम्पनियां 3 वर्ष तक अप्रेंटिस रख सकती है। साथ ही अप्रेंटिस को मिलने वाला वेतन या वजीफा न्यूनतम वेतन का 70 प्रतिशत होगा । इसमें भी आधा सरकार वहन करेगी।

प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अप्रेंटिस के नाम पर पूंजीपतियों को सालों साल न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर कुशल श्रम उपलब्ध कराना है।

श्रम सुधारों में मौजूदा संशोधन तो महज एक झांकी मात्र हैं। सरकार श्रम कानूनों को पूरी तरह निष्प्रभावी बनाने के साथ श्रम की अधिकाधिक लूट की पूरी छूट पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसकी झलक इस बात से मिलती है कि पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संसद के शीतकालीन सत्र में 100 और नये संशोधन रखने की बात की थी। सरकार दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है जिनके लागू होने पर मजदूरों की स्थिति लगभग पूरी तरह अधिकार विहीनता की हो जायेगी।

श्रम कानूनों में ये प्रस्तावित संशोधन दरअसल देशी–विदेशी पूंजी के इशारे पर लाये जा रहे हैं। इन संशोधनों में जहां श्रम कानूनों पर हमला बोलकर मजदूरों की श्रम शक्ति की लूट को एक नये स्तर पर पहुंचाने व उनके संगठित प्रतिरोध की ताकत को कम करने के उद्देश्य निहित हैं वहीं कुछ दिखावटी व बनावटी किस्म के सुधार भी प्रस्तावित किये गये हैं ताकि मजदूर वर्ग पर किये जा रहे हमले की मारकता को ढंका जा सके तथा इनके पीछे निहित उद्देश्यों को छिपाया जा सके।

श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके लिए मजदूर वर्ग से कोई रायशुमारी नहीं की गयी। यह दिखाता है कि मजदूरों के लिए तथाकथित लोकतंत्र दरअसल पूंजीपति वर्ग की निरंकुश तानाशाही ही है।

श्रम कानूनों में किये जा रहे संशोधन मजदूर वर्ग को और बुरी स्थिति में धकेल देंगे और मजदूर वर्ग के जीवन व कार्य परिस्थितियों को और बदतर बनायेंगे। अतः इन प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करना आज मजदूर वर्ग के सामने एक फौरी कार्यभार है।

हम मजदूर वर्ग के सचेत प्रतिनिधि होने के चलते श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का पुरजोर विरोध करते हैं। इसके खिलाफ हर तरह के प्रतिरोध संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

इसी के साथ हम सभी मजदूर साथियों से अपील करते हैं कि श्रम कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ 5 दिसम्बर को आयोजित प्रतिरोध दिवस के दिन यथाशक्ति स्वतंत्र या साझी कार्रवाइयां संगठित कर मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को मजबूत बनायें।

आइये पूंजी के इस व्यापक हमले का पुरजोर विरोध करें। मजदूर वर्ग की व्यापक एकजुटता कायम कर पूंजी के इस हमले का विफल करें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

ए. आई. एफ. टी. यू. (न्यू), आई. सी. टी. यू., इंकलाबी मजदूर केन्द्र, क्रांतिकारी नौजवान सभाॉ, मजदूर एकता केन्द्र, मोर्चा पत्रिका, मजदूर पत्रिका, टी. यू. सी. आई.

lkEinkf;drk d fojk/k e jyh

19 दिसम्बर काकोरी के शहीदों की शहादत दिवस के अवसर पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने रामलीला मैदान से जंतर–मंतर तक एक रैली निकाली तथा जंतर–मंतर पर साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक सभा की।

सभा को संबोधित करते हुए पछास के महेन्द्र ने कहा कि काकोरी के शहीद अशफाक और बिस्मिल साम्प्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल हैं। उन्होनें धर्म भेद भुलाकर एक साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए शहादत दी। लेकिन अशफाक–बिस्मिल–रोशन सिंह–राजेन्द्र नाथ लहिड़ी के देश में RSS&BJP जैसे संगठन साम्प्रदायिकता फैलाकर उनके विचारों को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से पूर्व ही RSS&BJP ने मिलकर देश के विभिन्न स्थानों पर दंगे करवाकर वोटों का ध्रुवीकरण कराया। कारपोरेट मीडिया और एकाधिकारी पूंजीपति वर्ग ने मोदी के पक्ष में मदहोश कर देने वाला प्रचार किया। मोदी की साम्प्रदायिक शख्सियत को बदलकर विकास पुरूष की एक भ्रामक छवि गढ़ी गयी। असल में 2007 के बाद से ही देशी–विदेशी पूंजी और अधिक हमलावर हो गयी है। वे और ज्यादा आर्थिक सुधारों की मांग कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार उसमें हिचकी तो मोदी ने आर्थिक सुधारों को पूंजीपतियों की सेवा में कर गुजरात में उन्हें खुली लूट की छूट देकर अपना चहेता बनवाया। आज दुनियाभर में कटटरपंथी ताकतों को पूंजीपति वर्ग आगे बढ़ा रहा है।

प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र की रिचा ने महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ अभियान को भाजपा का पाखण्ड बताया। उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों द्वारा महिलाओं से रात की पाली में काम करवाकर मोदी–भाजपा सरकार कौन सी महिला सुरक्षा देने वाली है। वहीं तथाकथित लव जेहाद अल्पसंख्यकों के साथ–साथ महिलाओं की आजादी का भी विरोधी है।

सभा को आगे संबोधित करते हुए इंकलाबी मजदूर केन्द्र के नगेन्द्र ने कहा कि साम्प्रदायिक काली ताकतों का मुकाबला करने के लिए आज हमें अपने कंधे मजबूत करने की जरूरत है। देश में सूफी अंबा प्रसाद से लेकर अशफाक उल्ला खां तक अनगिनत मुस्लिम क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने में अपनी शहादतें दी हैं। परन्तु आज साम्प्रदायिक ताकतें इतिहास को तोड़–मरोड़कर पेश कर रही हैं। शिक्षा के भगवाकरण के जरिए छात्रों–नौजवानों के दिमागों को कुंठित करने की साजिशें रची जा रही हैं। मजदूर वर्ग की फौलादी एकता ही साम्प्रदायिक ताकतों को पीछे धकेल सकती है।

क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के भूपाल ने कहा कि देश के भीतर साम्प्रदायिक और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए मेहनतकशों की एकजुटता ही एकमात्र विकल्प है। अतीत में फासिस्ट हिटलर और मुसोलिनी को भी जनता की एकजुटता ने कब्र में पहुंचाया था और आज भी यही होना तय है।

पछास के कमलेश ने कहा कि मेहनतकश जनता और छात्रों–नौजवानों की विरासत भगत सिंह, अशफाक–बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी हैं। इनके विचारों पर जनता को खड़ा करके ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ मुकाबला किया जा सकता है। मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था जोकि साम्प्रदायिक शक्तियों को खाद–पानी मुहैया करवा रही है के खात्मे व एक नए समाज समाजवाद के निर्माण से ही इन ताकतों को परास्त किया जा सकता है। पछास ने पिछले एक माह से विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिकता कि खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और ये प्रदर्शन उसी दिशा में उठाया गया कदम है। आगे भी पछास निरन्तर साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए छात्रों को साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट करता रहेगा।

सभा के अन्त में पेशावर, पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 132 बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।

सभा को DUTA अध्यक्ष नंदिता नारायण, AISA के मोहित, AITUF (NEW) के शाही जी, PDFI के अर्जुन प्रसाद, DTF की प्रो. नजमा आदि ने भी सम्बोधित किया। सभी ने पछास के कार्यक्रम को समर्थन देते हुए आगे भी एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही।

egku l?k"k lfefr u fnYyh e dgk vcdh ckj gekjk vf/kdkj

fnYyh d tarj&eerj ij vk;kftr egkjyh e lfefr u fy;k fgLlk

नई दिल्ली। 2 दिसंबर, 2014। देश भर के 200 से अधिक संगठनों द्वारा सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों के हक, मजदूर अधिकार और वैकल्पिक विकास के लिए दिल्ली में आयोजित संयुक्त महारैली में महान संघर्ष समिति ने भी हिस्सा लेकर "अबकी बार हमारा अधिकार" का नारा दिया।

लोकसभा सत्र के बीच आज दिल्ली के जंतर–मंतर पर वन अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून जैसे प्रगतिशील कानूनों व उदारवादी नीतियों में फेरबदल करने की सरकारी कोशिश के विरोध में तथा जल, जंगल, जमीन, पानी,बिजली, पेंशन, मजदूर–किसानों के अधिकारों को बचाने के लिये देश भर के सामाजिक संग. ठनों ने एक बैनर के नीचे जुटते हुए विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें करीब 20 हजार से अधिक संख्या में लोग शामिल हुए।

सिंगरौली से इस प्रदर्शन में शामिल होने आए महान संघर्ष समिति के सदस्य व अमिलिया निवासी कमला सिंह खैरवार ने कहा, "हम महान जंगल और अपनी जीविका को बचाने की लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन आज इस प्रदर्शन में शामिल होकर महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि हमारी तरह ही देश भर में लोग अपनी जीविका और अधिकारों को बचाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होकर हम देश के दूसरे संघर्ष के साथियों के साथ एकजुटता जाहिर कर रहे हैं"।

ग्रीनपीस की कैंपेनर और महान संघर्ष समिति की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई ने कहा, "नयी सरकार ने चुनाव से पहले सबका साथ,सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन आज वो जनता के हक में बने वन अधिकार, मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर करने की तैयारी कर रही है जिससे बड़ी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो।

महान, सिंगरौली में भी हम पिछले चार सालों से वन अधिकार को लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस कानून को ही कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही, कोयला आंवटन के लिये नया अध्यादेश लाने की भी तैयारी चल रही है जिससे कोयला खदानों का विरोध कर रहे लोगों की आवाज को दबाये जाने की कोशिश की जायेगी। यह अध्यादेश हमारे प्रदर्शन करने और संगठित होने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए हम देश की दूसरी लड़ाईयों के साथियों के साथ नयी सरकार द्वारा अपनायी जा रही जनता विरोधी निर्णयों के खिलाफ इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं"।

इस महारैली में महान संघर्ष समिति के साथ–साथ आईसा,एआईडीडब्यूए, अनहद, एकता परिषद, खेत मजदूर सभा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, सीविक, कमुनालिज्म कौमबैट, ग्रीनपीस, जामिया टीचर्ज सॉलिडेरिटी एसोसिएशन, जन आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, पेंशन परिषद, राष्ट्रीय मजदूर अधिकार मोर्चा,भोजन का अधिकार अभियान जैसे करीब 200 से अधिक सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया।

lkEçnkf;drk ds fojks/k esa ^dkSeh ,drk jSyh*

दिल्ली 16 नंवबर को दिल्ली में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा हाल के दिनों में दंगे व साम्प्रदायिक नफरत फैलाकर मजदूरों, मेहनतकशों की एकता को तोड़ने के साजिशों के खिलाफ मे. हनतकश जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से इंकलाबी मजदूर केन्द्र, प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र व परिवर्तनकामी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं–सदस्यों द्वारा मजदूर बस्ती शाहबाद डेरी में एक रैली निकाली।

यह रैली दोपहर तीन बजे इंकलाबी मजदूर केन्द्र के कार्यालय से शुरु हुयी जो शाहबाद डेरी के विभिन्न ब्लॉकों, गलियों व मछली मार्केट, पीच मंदिर और शाहबाद डेरी मेन बाजार से होते हुए इंकलाबी मजदूर केन्द्र के कार्यालय पर आकर समाप्त हुयी।

इस रैली में मजदूर, छात्र व महिला कार्यकर्ताओं ने साम्प्रदायिकता विरोधी पोस्टर व तख्तियां ले रखी थीं। प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र द्वारा 'साम्प्रदायिकता का विरोध करो' शीर्षक से प्रकाशित पर्चे को इस दौरान मजदूरों के बीच बांटा गया।

रैली में शामिल लोगों ने जोशो खरोश के साथ 'जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे' जाति धर्म का झगड़ा छोड़ो, मजदूर मुक्ति से नाता जोड़ो' 'कौमी एकता जिंदाबाद, साम्प्रदायिकता मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाये। इस दौरान ' जागो एक बार जागो रे' व 'नफस नफस कदम कदम' जैसे क्रांतिकारी गीत गाये गये। रैली के दौरान मजदूर बस्ती में नुक्कड़ सभायें की गयीं जिनमें मजदूरों मेहनकशों को साम्प्रदायिक तत्वों की राजनीति व षडयन्त्रों से आगाह करते हुए मजदूरों मेहनतकशों की क्रांतिकारी एकता बुलंद करने का आहवा किया गया।

रैली का समापन शाम 5 बजे इंकलाबी मजदूर केन्द्र के कार्यालय पर एक संक्षिप्त सभा के साथ हुआ जिसमें साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया और साम्प्रदायिक तत्वों की साजिशों को मजदूरों मेहनकशों की क्रांतिकारी एकता द्वारा नाकाम करने की अपील की गयी।

mÙkjk[k.M

;kSu fgalk ds f[kykQ jSyh o /kjuk&çn'kZu

लालकुंआ, उत्तराखण्ड, 3 दिसम्बर, महिलाओं के ऊपर हो रही यौन हिंसा के खिलाफ 'महिला यौन उत्पीड़न विरोधी मोर्चा' के बैनर तले एक रैली निकाली व स्थानीय तहसील पर धरना–प्रदर्शन किया।

रैली व प्रदर्शन में प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र, इंकलाबी मजदूर केन्द्र व परिवर्तनकामी छात्र संगठन के सदस्यों–कार्यकताओं सहित काफी संख्या में महिलायें व मजदूर शामिल थे।

रैली लालकुआं के 25 एकड़ मजदूर बस्ती से बंगाली कालोनी, सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल गेट, ट्रांसपोर्ट नगर व मुख्य बाजार से होते हुए तहसील पहुंचकर एक धरना–प्रदर्शन में तब्दील हो गया।

तहसील में धरना–प्रदर्शन के साथ एक सभा भी की गयी। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जिम्मेदार इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया व उत्तराखण्ड के हल्द्वानी शहर में 7 वर्षीय बच्ची कशिश के बलात्कार के बाद हत्या के लिए पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता एवं असंवेदनशीलता को जिम्मेदार ठहराया। वक्ताओं ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पूंजीवादी व्यवस्था के हित में काम करती हैं। जनता के लिए अच्छे दिन की बात करने वाले मोदी का पाखण्ड भाजपा सरकार बनने के 6 माह के भीतर जनता समझने लगी है। उनके शासन काल के 6 माह में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनायें बढ़ती गयी हैं। भाजपा के कई नेता सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के खिलाफ अपनी पुरुष प्रधान सोच प्रदर्शित कर चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा नये श्रम कानूनों में महिलाओं से रात्रि पाली में काम कराने की छूट उसके घोर महिला विरोधी व पूंजीपरस्त चरित्र को दिखाती है।

सभा के अंत में हल्द्वानी में हुई 7 वर्षीय बच्ची कशिश के साथ बलात्कार व उसकी निर्मम हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस–प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने व महिला विरोधी अश्लील संस्कृति पर रोक लगाने की मांग करते हुए तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया।

Je dkuuk d vrxr n; lfo/kk, ,o b-ih-,Q- nu dh ekx dk ydj lHkk

पंतनगर (उत्तराखंड), गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर में दिनांक 30/11/2014 को विश्वविद्यालय में कार्यरत ठेका मजदूरों की एक सभा इंकलाबी मजदूर केन्द्र, ठेका मजदूर कल्याण समिति, पन्तनगर व पन्तनगर वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान मे सम्पन्न हुई । सभा में सगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, ठेका मजदूरों द्वारा सर्वप्रथम हल्द्वानी, उत्तराखण्ड मे एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना पर दो मिनट का मौन रख कर संवेदना व्यक्त की गई ।शोक सभा में वक्ताओं ने कहा संकटग्रस्त पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपति शासक वर्ग द्वारा अपने मुनाफे की दौड़ मे अपने उत्पादों को बेचने के लिए महिलाओं के शरीर को एक उपभोग की वस्तु के रूप में पेश करके समाज को बीमार, कुण्ठित और मानसिक रूप से विकृत कर रही है और इसके साथ ही पुरूष प्रधान मानसिकता के साथ मिलकर यह और भी विकृतियों को पैदा कर रही है इसकी परिणति समाज मे बलात्कार और हत्या के रूप मे सामने आ रही है। वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में चल रहे आन्दोलन में सरकार द्वारा समस्या समाधान के बजाय पत्रकारों पर लाठी चार्ज, आन्दोलन का दमन की निन्दा और न्यायोचित मांगों के लिए चल रहे आन्दोलनों का सर्मथन किया ।

इसके बाद वर्षों से कार्यरत ठेका मजदूरों की ई.पी.एफ. मे ठेकेदारों, दलालों, विश्वविद्यालय द्वारा हिसाब मे धांधली पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि पन्तनगर विश्वविद्यालय मे वर्षों से कार्यरत ठेका मजदूरों का मई 2003 से हर माह मासिक मजदूरी से काटे गये ई.पी.एफ. अशंदान राशि की ई.पी.एफ. पासबुक, पर्ची व हिसाब ठेकेदारों मुख्य नियोक्ता विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं रखा जा रहा है। श्रम नियमानुसार यह हिसाब रखने के लिए ठेकेदार/विश्वविद्यालय प्रशासन बाध्य हैं फिर भी यह नहीं किया जा रहा है। सभा द्वारा मई 2003 से ई.पी.एफ. का पूरा हिसाब पूर्व खातों की राशि को वर्तमान ई.पी.एफ. खाते में स्थानान्तरण एवं ई.पी.एफ. पासबुक पर्ची की मांग की गई। स्थाई समाधान हेतु ई.पी.एफ. का स्थानीय स्तर पर पन्तनगर मे दफ्तर/सेल खोलने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि संगठन द्वारा श्रम नियमानुसार आवास, अवका"ा, समय से वेतन बोनस, चिकित्सा, ईएसआई जैसी आव"यक सुविधाओं की बार बार मांग करने पर भी अनदेखी, बेरूखी, न सुनवाई करने वाला शासन, प्रशासन आज वर्षों से ठेकेदारों/दलालों द्वारा मजदूरों की मेहनत से कमाई गई ई.पी. एफ. राशि की लूट पर भी चुप है। इतना ही नहीं अपने खून–पसीने की कमाई की लूट से आशंकित ठेका मजदूर ई.पी.एफ. स्कीम में नामित होने के बावजूद अपनी ई.पी.एफ. राशि को स्थानान्तरित करने के बजाय निकाल कर खाता बन्द करके स्वयं को सेवा काल के प्रमाण एवं ई.पी.एफ. स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन योजना जैसी थोड़ी बहुत जीवन सुरक्षा से भी वंचित कर रहा है । ठेकेदारों की इस लूट पर रोष व्यक्त किया गया और श्रम नियमानुसार उक्त सुविधाएं देने की पुरजोर मांग की गई। मांगे पूरी न होने की दशा मे तैयारी के साथ संगठनबद्ध होकर मजदूरों से आन्दोलन करने का आह्वान किया गया। सभा पूर्व तैयारी मे ठेकेदारों, दलालों, शासन, प्रशासन की मजदूर विरोधी कार्यवाही का पर्दाफाश करते हुए मजदूर बस्तियों मे घर घर पर्चा वितरण अभियान भी चलाया गया।

>kj[k.M

ck/kk d ml ikj D;k Bgj x;k g thou\

– जसिन्ता केरकेट्टा

झारखंड के सिमडेगा जिले में तीन डैम हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज जिन डैम से शहरों को पर्याप्त पानी मिलता है, वहीं विस्थापित हुए लोगों को ही इसका पानी उपलब्ध नहीं। वे आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। जमीन कौड़ियों के भाव ली गयीं, इसके बावजूद आज तक कई विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है। आजीविका के संसाधनों की कमी के कारण युवा दिहाड़ी मजदूर बनने या शहरों को पलायन के लिए अभिशप्त हैं। डैम के पानी से जहां शहर में जीवन–प्रवाह हो रहा वहीं बांध के उस पार लोगों का जीवन रूक सा गया है।

झारखंड के सिमडेगा जिले में तीन डैम हैं, जिनमें केलाघाघ, कोबांग और कोनबेगी डैम शामिल हैं।

केलाघाघ डैम का निर्माण चिंदा नदी पर 1974–75 में हुआ था। इसकी कुल जल संचयन क्षमता 994.58 हे.मी. है। गहराई 390.24 मीटर और डूब क्षेत्र 3809.75 हेक्टेयर है। इस डैम के लिए कई लोगों ने अपनी जमीनें दी ले. किन यह विडंबना ही है कि आज जिस केलाघाघ डैम से सिमडेगा के मुख्य शहर को पर्याप्त पानी मिलता है, वहीं विस्थापित हुए लोगों को इसका पानी उपलब्ध नहीं।

दूसरी ओर, सिंचाई की मुख्य नहर में पानी तो है लेकिन इससे निकलने वाली नहरों की शाखाओं से पानी नहीं गुजरता। मुख्य नहर भी कुछ दूर आगे जाकर पतले नाले में तब्दील हो जाता है। जबकि एक नहर की लंबाई 13.78 किलोमीटर, वहीं दूसरे की 13.56 किलोमीटर है। इससे शाखा नहरों के माध्यम से पानी दूर–दराज के गांवों तक नहीं पहुंच पाता। आस–पास के गांवों में छोटी शाखा नहरें कब की सूख कर मृत पड़ी हैं। डैम बनने के बाद इन छोटी शाखा नहरों में भी पानी बहा करता था और गांवों में धान व गेहूं की फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब खेत कोड़ने के बाद किसान खेत तक पानी पहुंचने का इंतजार करते नजर आते हैं।

fngkMh etnj cuu dk tUe y jgh ihf<;k

केलाघाघ डैम में जलमग्न हुए गांव के कुछ लोगों को पूर्ववर्ती विधायक थियोडोर किड़ो ने 15–15 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी थी। वहां लोगों ने जंगल साफ कर घर बसाया। आज यह गांव केलाघाघ बेड़ोटोली कहलाता है। इस गांव में आज 20–25 घर हैं। गांव की कुंवारी लुगुन बताती हैं कि डेम बनने से पहले उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। पर डैम बनने और अपनी जमीन से उजड़ने के बाद वे पूर्ण रूप से दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं। गांव के घरों का कोई ऐसा न होगा जो दिहाड़ी मजदूरी न करता हो। इसी गांव की नमलेन लुगुन कहती हैं कि गांव के बेरोजगार युवा परिवार चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ मजदूरी कर रहे हैं। जो बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे भी पांचवी के बाद पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने लगते हैं। गांव के लोग डैम में मछली मारते हैं और उसे बेचकर चावल–दाल खरीदते हैं। आजीविका के साधनों में मछली मारना और मजदूरी करना भर रह गया है। इससे भी तीन वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं हो पाता। दो जून का खाना ही नसीब होता है। गांव में दो चपाकल हैं, इसमें भी एक खराब पड़ा है। दूसरे से गंदा पानी निकलता है, वे जिसे छानकर पीते हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या पीने के साफ पानी की व्यवस्था की है।

सिमडेगा के बुधराटोली में रहने वाले फौज से सेवानिवृत लूथर केरकेट्टा डैम बनते समय की स्मृतियों को पुनः जीवित करते हुए बताते हैं कि उनकी पत्नी स्व. मैनी मरसा केरकेट्टा डैम बनने के दिनों में इसके विरोध में चल रहे आंदोलनों की अगुआ थी। इस क्रम में वह कई बार जेल भी गई। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को मुआवजे के तौर पर कौड़ी के भाव से कुछ पैसे दिये गये थे और उनसे कहा गया कि उन्हें यह राशि एडवांस के तौर पर दी जा रही है । शेष राशि बाद में दी जाएगी। आज तक वह राशि विस्थापितों को नहीं मिली है।

foLFkkfirk d fy, ugh g llykb dk ikuh

विस्थापित गांव बिरनीबेड़ा में 200 की आबादी है। पहले गांव के लोगों के पास खेती के लिए बड़े–बड़े खेत थे। वे धान, और मुंगफली की खेती करते थे। मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। पर अब बचे–खुचे टांड़ वाली जमीन पर भी खेती करना मुश्किल हो गया है। यहां के युवा सिमडेगा शहर जाकर मजदूरी करते हैं। गांव के इलियाजर डुंगडुंग ने बताया कि डैम के लिए उनकी एक एकड़ जमीन गई। अब शहर जाकर मजदूरी करते हैं। पूरे शहर को इसी डैम से सप्लाई का पानी मिलता है, लेकिन वह पानी विस्थापित गांवों तक नहीं पहुंचता। डैम के पानी से पूरा शहर लाभान्वित हो रहा है, शहर रौशन है, लेकिन विस्थापित गांवों तक अब भी बिजली नहीं पहुंची है। डैम से प्रभावित गांवों में बेड़ाटोली, कंदराडीपा, बिरनीबेड़ा, बोरपानी, सलडेगा, बुधराटोली, घोचोटोली, नयागमटोली, बड़ाबरपानी, जलडेगा, चिमटीटोला आदि शामिल हैं।

dkckx Me 14 lky gk x,] ij ugh gvk mn?kkVu

सिमडेगा का कोबांग डैम, केलाघाघ डैम से काफी बड़ा है। कोबांग डैम का निर्माण 1988 में कांसजोर नदी पर बनना प्रारंभ हुआ था। 2000 तक यह पूरा हो चुका था। इस डैम की पूर्ण जल संचयन क्षमता 1262.20 हे.मी. है। इस डैम में मुख्यतः पकरटांड़ पंचायत के खास कोबांग गांव, लहरूटोली,

गोठेंगटांगर, डूमरटोली, मोसोटोली, बिलहोरटोली और डावठादामर की जमीनें डूबी हैं। कोबांग गांव के मुखिया सुशील चंद्र कुल्लु बतलाते हैं कि डैम के आस–पास के गांवों में डैम से निकली दो नहरों से सिंचाई की सुविधा मिली है। इससे लोग अब साल में दो बार खेती कर पाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी के अनावश्यक बहाव से खेत दलदल बन गये हैं। इस कारण वे खेती के लायक नहीं रही हैं। 14 साल हो गए हैं और आज तक पुरानी दर से लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। सप्लाई पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोबांग गांव को छोड़ दूसरे गांवों में सिंचाई की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां की खेती ठप्प है। मुख्य नहर का पक्कीकरण और शाखा नहरों की मरम्मत जरूरी है, जो नहीं हुआ है। जिनकी जमीनें डैम में गई हैं उनमें से अधिकांश को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। न ही इस पर बनी तीन किलोमीटर की पुल का पक्कीकरण ही हुआ है। रोचक तथ्य यह भी है कि 14 साल बाद भी आज तक इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है।

t : jh ;k tuk,i gk tkrh g vLoh—r

सिमडेगा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पकरटांड़ पंचायत का केंदुउडीह पूरी तरह विस्थापितों का गांव है। यहां की सोफिया डुंगडुंग बताती हैं कि खेती के लिए जमीनें तो नहीं हैं लेकिन सरकार ने डैम के समीप सिंचाई के लिए मशीनें लगा दी है। इससे आस–पास के विस्थापित गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिलता है, जहां की जमीनें नहीं गई हैं। इस पानी से उस क्षेत्र के लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। विस्थापित परिवारों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिला है। बीपीएल कार्ड हैं, लेकिन क्षेत्र के 183 बीपीएल कार्डधारियों में से ज्यादातर को इसका लाभ नहीं मिलता। केंदुउडीह गांव के मात्र दो बीपीएल कार्डधारियों को कुछ लाभ मिल रहा है। वार्ड पार्षद क्लेमेंट कछुआ से पूछने पर कि ऐसा क्यों है? वे कहते हैं कि डीलर के अनुसार सभी बीपीएल परिवारों के लिए उन्हें राशन नहीं मिलता। विभाग से आदेश नहीं है। इसलिए वे भी राशन देने में असमर्थ हैं। आदेश होगा तब वे देंगे। आदेश क्यों नहीं है? इसका जवाब किसी के पास नहीं।

वार्ड पार्षद कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के पास कोई ताकत नहीं है। जिन योजनाओं की जरूरत गांवों को है, सरकार वे योजनाओं लागू नहीं करती। अपने हिसाब से योजनाएं लाती हैं। जरूरत न होने पर भी उन्हें लेना मजबूरी है। सरकार की गलत रणनीति के कारण गांवों का सही विकास नहीं हो पा रहा है। यहां के लोगों को खेती के लिए उबड़–खाबड़ जमीनों के समतलीकरण, मेड़बंदी, पशुपालन जैसी योजनाएं चाहिए, ले. किन ऐसी योजनाओं के लिए आवेदन देने के बाद भी वे स्वीकृत नहीं हुईं।

बांध बनाने के पीछे सबसे बड़ा मंत्र लोगों के विकास का होता है, पर इन बांधों के पार लोगों का जीवन आगे बढ़ने और विकसित होने के बदले ठहरा हुआ क्यों है? लोगों की आंखों में यह एक प्रश्न आशुंओं के किसी सूखी लकीर की तरह जमी हुई है।

(रांची व दिल्ली से एक साथ निकलने वाली नई अखबार 'राष्ट्रीय सागर' में प्रकाशित)

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक पत्रिका है। जून 2012 से इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com